विषय-सूची

पैरा नं.	ब्योरे		पृष्ठ सं.
क	उद्देश्य		1
ख	वर्गीकरण		1
ग	पिछले अनुदेश		1
घ	प्रयोज्यता		1
1.	प्रस्तावना		2
2.	दिशानिर्देश		2
2.1	सांविधिक प्रतिबंध		2
	2.1.1	बैंक के अपने शेयरों की जमानत पर अग्रिम	2
	2.1.2	बैंक के निदेशकों को अग्रिम	2
	2.1.3	कंपनियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध	4
	2.1.4	कंपनियों को उनकी प्रतिभूतियों के पुनः क्रय के लिए ऋण देने पर प्रतिबंध	4
2.2	विनियामक प्रतिबंध		5
	2.2.1	निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण और अंग्रिम प्रदान करना	5
	2.2.2	बैंकों के अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम स्वीकृत करने पर प्रतिबंध	8
	2.2.3	ओज़ोन कम करनेवाले पदार्थ बनानेवाले/उनका उपभोग करनेवाले उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर प्रतिबंध	10
	2.2.4	चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत संवेदनशील पण्यों की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर प्रतिबंध	11
	2.2.5	अधिकारियों सहित स्टाफ सदस्यों को कमीशन का भुगतान करने पर प्रतिबंध	13
2.3	अन्य ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध		14
	2.3.1	शेयरों, डिबेंचरों और बांडों की जमानत पर ऋण और अग्रिम	14
	2.3.2	मुद्रा बाज़ार म्युच्युअल फंड	14
	2.3.3	अन्य बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीदों की जमानत पर अग्रिम	14
	2.3.4	एजेंटों/मध्यस्थों को जमाराशि जुटाने के प्रतिफल पर आधारित अग्रिम	14
	2.3.5	जमा प्रमाण पत्रों की जमानत पर ऋण	14
	2.3.6	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त	15
	2.3.7	मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं/आवास परियोजनाओं का वित्तपोषण	15
	2.3.8	वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करना	21
	2.3.9	बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई	23
	2.3.10	बुलियन/अपरिष्कृत सोने की जमानत पर अग्रिम	25
	2.3.11	सोने के आभूषणों तथा गहनों की जमानत पर अग्रिम	25
	2.3.12	स्वर्ण (धातु) ऋण	25
	2.3.13	स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण तथा अग्रिम	27
	2.3.14	लघु उद्योगों को ऋण और अग्रिम	27
	2.3.15	बैंक ऋण की सुपुर्दगी के लिए ऋण प्रणाली	27
	2.3.16	संघीय/बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत उधार	28
	2.3.17	सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर उद्योग को कार्यशील पूंजी संबंधी वित्त	29
	2.3.18	भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के लिए बैंक वित्त हेतु दिशानिर्देश	29
	2.3.19	किसान विकास पत्र लेने के लिए ऋण प्रदान करना	32
	2.3.20	7 प्रतिशत बचत बॉण्ड, 2002; 6.5 प्रतिशत बचत बॉण्ड 2003 (इस पर कर नहीं लगेगा) तथा 8 प्रतिशत बचत बॉण्ड 2003 (कर योग्य) - संपार्श्विक सुविधा	32
	2.3.21	अनर्जक परिसंपत्तियों के समझौता निपटान संबंधी दिशानिर्देश -	33

		न्यायालय से सहमति आदेश (कन्सेंट डिक्री) प्राप्त करना	
	2.3-.22	बैंकों का परियोजना वित्त संविभाग	33
	2.3.23	सरकार से प्राप्य राशियों की जमानत पर पूरक ऋण	33
2.4		ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देश	34
अनुबंध 1		नियंत्रित पदार्थों की सूची	37
अनुबंध 2		नियंत्रित पदार्थों की सूची	38
अनुबंध 3		चयनात्मक ऋण नियंत्रण - अन्य परिचालनात्मक विनिर्देश	39
अनुबंध 4		स्वर्ण आयात के लिए नामित बैंकों की सूची	40
अनुबंध 5		समेकित परिपत्रों की सूची	41

ऋण और अग्रिम - सांविधिक और अन्य प्रतिबंध पर मास्टर परिपत्र

क. उद्देश्य

इस मास्टर परिपत्र में ऋण और अग्रिमों पर सांविधिक तथा अन्य प्रतिबंधों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी अनुदेशों को समेकित किया गया है ।

ख. वर्गीकरण

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सांविधिक दिशानिर्देश

ग. पिछले अनुदेश

इस मास्टर परिपत्र में **अनुबंध 5** में सूचीबद्ध परिपत्रों में उपर्युक्त विषय पर निहित अनुदेशों को समेकित तथा अद्यतन किया गया है ।

घ. प्रयोज्यता

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर लागू ।

संरचना

1. प्रस्तावना
2. दिशानिर्देश
    - 2.1 सांविधिक प्रतिबंध
    - 2.2 विनियामक प्रतिबंध
    - 2.3 अन्य ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध
    - 2.4 ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देश
3. अनुबंध

अनुबंध 1 - नियंत्रित पदार्थों की सूची
अनुबंध 2 - नियंत्रित पदार्थों की सूची
अनुबंध 3 - चयनात्मक ऋण नियंत्रण - अन्य परिचालनात्मक विनिर्देश
अनुबंध 4 - स्वर्ण आयात के लिए नामित बैंकों की सूची
अनुबंध 5 - समेकित परिपत्रों की सूची

1. प्रस्तावना

इस मास्टर परिपत्र में ऋणों तथा अग्रिमों पर सांविधिक तथा अन्य प्रतिबंधों के संबंध में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी किए गए नियमों/विनियमों/अनुदेशों का संग्रह है ।

बैंकों को इन अनुदेशों को कार्यान्वित करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके द्वारा बैंकिंग कार्यकलाप सुदृढ़, विवेकपूर्ण और लाभप्रद तरीके से चलाये जाते हैं उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाना
चाहिए ।

2. दिशानिर्देश

2.1 सांविधिक प्रतिबंध

2.1.1 बैंक के अपने शेयरों की जमानत पर अग्रिम

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 (1) के अनुसार कोई भी बैंक अपने शेयरों की जमानत पर कोई ऋण और अग्रिम नहीं दे सकता ।

2.1.2 बैंक के निदेशकों को अग्रिम

2.1.2.1 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 (1) में ऐसे निदेशकों और फर्मों को ऋण और अग्रिम देने पर भी प्रतिबंध निर्धारित किये गये हैं जिनका उनमें पर्याप्त हित निहित हो ।

2.1.2.2 बैंकों पर निम्नलिखित को या उनकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम धन देने के लिए किसी प्रकार का वचन देने पर प्रतिबंध हैः इसका कोई निदेशक, अथवा कोई ऐसी फर्म, जिसमें उसके किसी निदेशक का भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता के रूप में हित निहित हो, अथवा कोई ऐसी कंपनी (जो उस बैंकिंग कंपनी की समनुषंगी कंपनी अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी अथवा सरकारी कंपनी न हो) अथवा वह समनुषंगी अथवा धारक कंपनी, जिसका उस बैंक के निदेशकों में से कोई निदेशक, प्रबंध एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता है या जिसमें उसका पर्याप्त हित निहित है, अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसका भागीदार या गारंटीकर्ता उसके निदेशकों में से कोई है ।

2.1.2.3 इस संबंध में कुछ छूटें हैं । उक्त धारा के स्पष्टीकरण में, 'ऋण अथवा अग्रिम' में ऐसा कोई लेनदेन शामिल नहीं होगा, जिसे रिज़र्व बैंक ने सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा उक्त धारा के प्रयोजन के लिए ऋण अथवा अग्रिम न होने के रूप में विनिर्दिष्ट किया हो। ऐसा करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक लेनदेन के स्वरूप, लेनदेन के कारण देय हुई राशि को कितनी अवधि के भीतर और किस रूप में तथा किन परिस्थितियों में वसूल किये जाने की संभावना है, जमाकर्ताओं के हित तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखेगा ।

2.1.2.4 उक्त धारा के प्रयोजन के लिए किसी लेनदेन के संबंध में यदि प्रश्न पैदा होता है कि उसे ऋण अथवा अग्रिम माना जाए या नहीं, तो उसे भारतीय रिज़र्व बैंक के पास भेजा जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

2.1.2.5 उक्त प्रयोजन के लिए 'ऋण और अग्रिम' शब्द में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे :-

(क) सरकारी प्रतिभूतियों, जीवन बीमा पालिसियों अथवा सावधि जमाराशियों की जमानत पर दिये गये ऋण अथवा अग्रिम;

(ख) कृषि वित्त निगम लिमिटेड को स्वीकृत ऋण अथवा अग्रिम ;

(ग) ऐसे ऋण अथवा अग्रिम जो किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा उसके किसी निदेशक को (जो निदेशक बनने के तत्काल पूर्व उक्त बैंकिंग कंपनी का कर्मचारी रहा हो), उस बैंकिंग कंपनी के कर्मचारी की हैसियत में तथा ऐसी शर्तों पर जो बैंकिंग कंपनी का निदेशक न होने की स्थिति में उस बैंकिंग कंपनी के कर्मचारी के रूप में उस पर लागू होतीं, दिये गये हों। बैंकिंग कंपनी में ऐसा प्रत्येक बैंक शामिल है जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं।

(घ) ऐसे ऋण अथवा अग्रिम जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से तथा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों पर बैंकिंग कंपनी द्वारा उसके अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, जो अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति के तत्काल पूर्व बैंकिंग कंपनी का कर्मचारी न रहा हो; कार, पर्सनल कंप्यूटर, फर्नीचर खरीदने के प्रयोजन से या उसके अपने उपयोग के लिए मकान बनवाने/ अर्जित करने के लिए स्वीकृत किये गये हों और त्यौहार अग्रिम।

(ङ) ऐसे ऋण अथवा अग्रिम जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से तथा इसके द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों पर बैंकिंग कंपनी द्वारा अपने पूर्णकालिक निदेशक को फर्नीचर, कार, पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के प्रयोजन से या उसके अपने उपयोग के लिए मकान बनवाने/ अर्जित करने के लिए स्वीकृत किये गये हों और त्यौहार अग्रिम।

(च) बैंकिंग कंपनियों द्वारा एक दूसरे को दिये गये मांग ऋण।

(छ) खरीदे गये/ भुनाये गये बिलों (चाहे वे दस्तावेजी बिल हों अथवा बेजमानती बिल हों और दर्शनी हों या मुद्दती और चाहे वे स्वीकृति पर प्रलेख के आधार पर हों अथवा अदायगी पर प्रलेख के आधार पर), चेकों की खरीद, बिलों की स्वीकृति/ सहस्वीकृति जैसी निधीतर आधारित अन्य सुविधाएं, साखपत्र खोलना और गारंटी जारी करना, तीसरे पक्षकारों से डिबेंचरों की खरीद आदि जैसी सुविधाएं ।

(ज) आसान निपटान की सुविधा के लिए निपटान बैंकरों द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएससीसीएल) / भारतीय समाशोधन

निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) को प्रदत्त स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा/ओवरड्राफ्ट सुविधा।

(झ) बैंक द्वारा अपने निदेशकों को प्रदत्त ऋण सीमा की हद तक क्रेडिट कार्ड सुविधा के अंतर्गत प्रदान की जानेवाली ऋण सीमा, जो क्रेडिट कार्ड कारोबार के सामान्य परिचालन में बैंक द्वारा लागू किए जाने वाले मानदंडों को ही लागू करते हुए बैंक निर्धारित करता है।

नोट : उक्त खंड (घ) और (ङ) में निर्दिष्ट किये गये अनुसार रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के लिए बैंक को चाहिए कि वह बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को आवेदन करे ।

2.1.2.6 निदेशकों और उनके प्रतिष्ठानों के बेजमानती निभाव के स्वरूप के बिलों को खरीदने या भुनाने को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के प्रयोजन के लिए 'ऋण और अग्रिम' के रूप में माना जायेगा ।

2.1.2.7 जहां तक गारंटियां देने और बैंक के निदेशकों की ओर से साखपत्र खोलने का संबंध है, प्रसंगवश यह नोट किया जाये कि यदि मूल ऋणकर्ता अपनी देयता के उन्मोचन में चूक करता है और गारंटी अथवा साखपत्र के अंतर्गत बैंक को दायित्व निभाने के लिए कहा जाता है तो बैंक और निदेशक के बीच लेनदार और देनदार का संबंध बन सकता है। साथ ही, यह संभव है कि निदेशक बैंक द्वारा दी गयी गारंटी की जमानत पर तीसरे पक्षकार से उधार लेकर धारा 20 के उपबंधों से बच जाये। इस प्रकार के लेनदेनों से धारा 20 के अंतर्गत लगाये गये प्रतिबंधों का प्रयोजन ही पूरा नहीं होगा यदि बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम न उठाएं कि उसके तहत देयताएं उन पर न आने पायें।

2.1.2.8 उपर्युक्त बातें ध्यान में रखते हुए निदेशकों एवं कंपनियों /फर्मों, जिनमें निदेशकों का हित निहित हो, की ओर से गारंटी, साखपत्र, स्वीकृति जैसी निधीतर सुविधाएं प्रदान करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि -

(क) बैंक के संतोषपर्यंत इस बात के लिए पर्याप्त और प्रभावी व्यवस्थाएं की गयी हों कि साखपत्र खोलनेवालों, या स्वीकार करनेवालों, या गारंटीकर्ताओं द्वारा उनके अपने संसाधनों से वचनबद्धताएं पूरी की जाएंगी,

(ख) गारंटी लागू करने पर होने वाली देयताएं पूरी करने के लिए बैंक से यह नहीं कहा जायेगा कि वह कोई ऋण या अग्रिम स्वीकृत करे, और

(ग) साखपत्र / स्वीकृतियों के कारण बैंक पर कोई देयता नहीं आयेगी।

2.1.2.9 उक्त (ख) और (ग) जैसी आकस्मिकताएं आने पर बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के उपबंधों के उल्लंघन का एक पक्षकार माना जायेगा।

2.1.2.10 <u>ऋण माफ करने की शक्ति पर प्रतिबंध</u>

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20क के अंतर्गत यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई बैंकिंग कंपनी, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना ऐसे किसी ऋण को पूर्णतः या अंशतः माफ नहीं करेगी जो -

(क) उसके निदेशकों में से किसी के द्वारा देय है, अथवा

(ख) ऐसी किसी फर्म या कंपनी द्वारा देय है जिसमें उसके निदेशकों में से किसी का निदेशक, भागीदार, प्रबंध एजेंट अथवा गारंटीकर्ता के रूप में हित निहित हो, और

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा उस दशा में देय है जब उसका भागीदार या गारंटीकर्ता उसके निदेशकों में से कोई हो।

ऊपर उल्लिखित उपबंधों का उल्लंघन करते हुए दी गयी कोई भी माफी अमान्य और अप्रभावी होगी।

2.1.3 कंपनियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध

2.1.3.1 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (2) के अनुसार बैंक किसी कंपनी में उपखंड (1) में किये गये प्रावधानों को छोड़कर अन्य किसी रूप में गिरवीदार, बंधकग्राही या पूर्ण स्वामी के रूप में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के 30 प्रतिशत अथवा उसकी अपनी प्रदत्त शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधि के 30 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक राशि के शेयर नहीं रखेंगे।

2.1.3.2 साथ ही, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(3) के अनुसार बैंकों को गिरवीदार, बंधकग्राही या पूर्ण स्वामी के रूप में ऐसी किसी कंपनी में शेयर नहीं रखने चाहिए जिसके प्रबंध में उस बैंक का प्रबंध निदेशक या प्रबंधक किसी भी रीति से संबद्ध हो अथवा उसका कोई हित निहित हो ।

2.1.3.3 तदनुसार, शेयरों की जमानत पर ऋण और अग्रिम स्वीकृत करते समय धारा 19 (2) और (3) में निहित सांविधिक उपबंधों का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाना चाहिए ।

2.1.4 कंपनियों को अपनी प्रतिभूतियों के पुनःक्रय के लिए ऋण देने पर प्रतिबंध

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77 क (1) के अनुसार कंपनियों को इस बात की अनुमति है कि वे निम्नलिखित से अपने शेयर अथवा अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां खरीद सकती हैं :

- मुक्त प्रारक्षित निधियां, अथवा
- प्रतिभूति प्रीमियम खाता, अथवा
- किसी शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की आगम राशियां

बशर्ते कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 में विनिर्दिष्ट विभिन्न शर्तों का पालन किया गया हो। अतः बैंकों को शेयरों/ प्रतिभूतियों के पुनःक्रय के लिए कंपनियों को ऋण प्रदान नहीं करना चाहिए।

2.2 विनियामक प्रतिबंध

2.2.1 निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम प्रदान करना

बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना अथवा बोर्ड की जानकारी के बिना बैंक के अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक अथवा अन्य निदेशकों के रिश्तेदारों, अन्य बैंकों के निदेशकों (अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सहित) और उनके रिश्तेदारों, अनुसूचित सहकारी बैंकों के निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार वित्त प्रदान करने वाले बैंकों अथवा अन्य बैंकों द्वारा स्थापित अनुषंगी कंपनियों के निदेशकों /म्युच्युअल फंडों /जोखिम पूंजी निधियों के न्यासियों को कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किये जाने चाहिए ।

2.2.1.1 पारस्परिक आधार पर निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण प्रदान करना

ऐसे उदाहरण सामने आये हैं जिनमें कुछ बैंकों ने एक दूसरे के निदेशकों, उनके रिश्तेदारों आदि को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनके बीच अनौपचारिक समझौता अथवा पारस्परिक व्यवस्थाएं की हैं। कुल मिलाकर उन्होंने ऋणकर्ताओं को, विशेष रूप से कुछ समूहों या निदेशकों, उनके रिश्तेदारों आदि से संबंधित ऋणकर्ताओं को ऋण सीमाएं स्वीकृत करने में सामान्य प्रक्रियाओं और मानदंडों का अनुसरण नहीं किया। पार्टियों के अलग-अलग खातों के परिचालन में स्वीकृत सीमाओं और रियायतों से कहीं अधिक सुविधाओं की अनुमति दी गयी। यद्यपि, किसी बैंक द्वारा किसी अन्य बैंक के निदेशक या उसके रिश्तेदारों को ऋण सुविधाएं देने पर कोई कानूनी मनाही नहीं है, तथापि संसद में इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की गयी है कि इस प्रकार की पारस्परिक व्यवस्थाएं नैतिक नहीं मानी जा सकतीं। अतः बैंकों को अपने निदेशकों के रिश्तेदारों को और अन्य बैंकों के निदेशकों तथा उनके रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम स्वीकृत करने के संबंध में तथा संविदाएं स्वीकृत करने के संबंध में नीचे दिये गये दिशानिर्देशों का अनुसरण करना चाहिएः

2.2.1.2निदेशक मंडल / प्रबंध समिति की स्वीकृति के बिना बैंकों को कुल 25 लाख रुपए और अधिक के ऋण तथा अग्रिम निम्नलिखित के लिए स्वीकृत नहीं करने चाहिए -

(क) अन्य बैंकों* के निदेशक (अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सहित);

(ख) कोई फर्म या कंपनी, जिसमें अन्य बैंकों* के किसी निदेशक का भागीदार या गारंटीकर्ता के रूप में हित निहित हो; और

(ग) कोई कंपनी, जिसमें अन्य बैंकों* के किसी निदेशक का पर्याप्त हित हो अथवा निदेशक या गारंटीकर्ता के रूप में उसका हित निहित हो ।

2.2.1.3 निदेशक मंडल / प्रबंध समिति की स्वीकृति के बिना बैंकों को कुल 25 लाख रुपये और अधिक के ऋण तथा अग्रिम भी निम्नलिखित के लिए स्वीकृत नहीं करने चाहिए -

(क) उनके अपने अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशकों का कोई रिश्तेदार ;

(ख) अन्य बैंकों* के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशकों का कोई रिश्तेदार;

(ग) कोई फर्म, जिसमें उक्त (क) और (ख) में उल्लिखित किसी रिश्तेदार का भागीदार या गारंटीकर्ता के रूप में हित निहित हो; और

(घ) कोई कंपनी जिसमें उक्त (क) और (ख) में उल्लिखित किसी रिश्तेदार का पर्याप्त हित अथवा निदेशक या गारंटीकर्ता के रूप में उसका हित निहित हो।

* अनुसूचित सहकारी बैंकों के निदेशकों, अनुषंगी कंपनियों के निदेशकों / म्युच्युअल फंडों / जोखिम पूंजी निधियों के न्यासियों सहित ।

2.2.1.4 इन ऋणकर्ताओं को 25 लाख रुपए से कम की राशियों की ऋण सुविधाओं के प्रस्ताव वित्तपोषक बैंक के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उस प्राधिकारी को प्राप्त शक्तियों के तहत स्वीकृत किये जायें, परंतु मामले की सूचना बोर्ड को दी जाये।

2.2.1.5 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशक, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रस्ताव में हित निहित हो, को चाहिए कि वह प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोर्ड के समक्ष अपने हित के स्वरूप को प्रकट करे। जब तक जानकारी प्राप्त करने के प्रयोजन से अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति अपेक्षित न हो तब तक उसे बैठक में उपस्थित नहीं रहना चाहिए और इस प्रकार उपस्थित रहने के लिए अपेक्षित निदेशक ऐसे किसी प्रस्ताव पर मत नहीं देगा ।

2.2.1.6 ऋणों और अग्रिमों की स्वीकृति संबंधी उक्त मानदंड संविदा मंजूर किये जाने पर भी समान रूप से लागू होंगे ।

2.2.1.7 'रिश्तेदार' शब्द में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- पति / पत्नी
- पिता
- माता (सौतेली माता सहित)
- पुत्र (सौतेले पुत्र सहित)
- पुत्र वधु
- पुत्री (सौतेली पुत्री सहित)
- दामाद (पुत्री का पति)
- भाई (सौतेले भाई सहित)
- भाभी (भाई की पत्नी)

- बहन (सौतेली बहन सहित)
- बहनोई (बहन का पति)
- जेठ, देवर (पति का भाई)/साला (पत्नी का भाई, सौतेले भाई सहित)
- ननद (पति की बहन)/साली (पत्नी की बहन, सौतेली बहन सहित)

2.2.1.8 'ऋण और अग्रिम' शब्द में निम्नलिखित की जमानत पर दिये ऋण और अग्रिम शामिल नहीं होंगे-

- सरकारी प्रतिभूति
- जीवन बीमा पालिसी
- सावधि या अन्य जमाराशियां
- स्टॉक और शेयर
- छोटी राशि, अर्थात् 25,000 रुपये तक के अस्थायी ओवरड्राफ्ट
- एक बार में 5,000 रुपये तक के चेकों की आकस्मिक खरीद
- सामान्य तौर पर कर्मचारियों पर लागू किसी योजना के तहत बैंक के कर्मचारी को दिये गये आवास ऋण, कार अग्रिम आदि ।

2.2.1.9 'पर्याप्त हित' शब्द से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(ढ ङ) में दिया गया अर्थ अभिप्रेत होगा ।

2.2.1.10 बैंकों को चाहिए कि वे अन्य बातों के साथ-साथ वित्तपोषक बैंकों के बोर्ड/समिति या अन्य उपयुक्त प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत ऋण प्रस्तावों /संविदा प्रदान करने में वित्तपोषक बैंक या अन्य बैंक के निदेशक या उसके रिश्तेदारों का हित निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं :

(i) प्रत्येक ऋणकर्ता को बैंक के समक्ष इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए कि :

(क) (जहां ऋणकर्ता एक व्यक्ति हो) वह बैंकिंग कंपनी का निदेशक अथवा ऐसे निदेशक का विनिर्दिष्ट नज़दीकी रिश्तेदार नहीं है;

(ख) (जहां ऋणकर्ता एक भागीदारी फर्म हो) कोई भी भागीदार बैंकिंग कंपनी का निदेशक या ऐसे निदेशक का विनिर्दिष्ट नज़दीकी रिश्तेदार नहीं है; और

(ग) (जहां ऋणकर्ता एक संयुक्त पूंजी कंपनी हो) इसका कोई निदेशक बैंकिंग कंपनी का निदेशक या ऐसे निदेशक का विनिर्दिष्ट नज़दीकी रिश्तेदार नहीं है।

(ii) घोषणा में ऋणकर्ता के बैंक के निदेशक के साथ संबंध के ब्यौरे भी दिये जाने चाहिए ।

2.2.1.11 अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जब कभी ऐसा मालूम हो कि ऋणकर्ता ने गलत घोषणा दी है तो बैंकों को तुरंत ऋण वापस मांग लेना चाहिए ।

2.2.1.12 अनुसूचित सहकारी बैंकों के निदेशकों या उनके रिश्तेदारों को ऋण / अग्रिम स्वीकृत करते समय अथवा संविदाओं की मंजूरी करते समय भी उक्त दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

2.2.1.13 उनके द्वारा तथा अन्य बैंकों द्वारा स्थापित अनुषंगी कंपनियों के निदेशकों/ म्युच्युअल फंडों/ जोखिम पूंजी निधियों के न्यासियों को ऋण और अग्रिम स्वीकृत करते समय तथा संविदाएं मंजूर करते समय भी बैंकों द्वारा इन दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

2.2.1.14 ये दिशानिर्देश सभी निदेशकों की जानकारी में विधिवत् लाये जाने चाहिए तथा बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष भी रखे जाने चाहिए ।

2.2.2 बैंकों के अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम स्वीकृत करने पर प्रतिबंध

2.2.2.1 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों या कर्मचारियों पर लागू सांविधिक विनियमों और/ या नियमों और सेवा शर्तों में कुछ सीमा तक उन पूर्व-सावधानियों का उल्लेख रहता है जिनका पालन ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उनके रिश्तेदारों को ऋण सुविधाएं स्वीकृत करते समय किया जाना है। इसके अलावा अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदारों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के संदर्भ में सभी बैंकों द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जाना चाहिए :

(i) बैंक के अधिकारियों को ऋण तथा अग्रिम

कोई भी अधिकारी अथवा ऐसी कोई समिति, जिसमें अन्य के साथ-साथ उस अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया हो, कोई ऋण सुविधा स्वीकृत करने के संबंध में शक्तियों का उपयोग करते समय अपने रिश्तेदार के लिए ऋण सुविधा स्वीकृत नहीं करेगा/करेगी। सामान्य तौर पर ऐसी ऋण सुविधा अगले उच्चतर स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा ही स्वीकृत की जायेगी। वित्तपोषक बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को स्वीकृत ऋण सुविधाओं की सूचना बोर्ड को दी जानी चाहिए ।

(ii) बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम तथा संविदाओं की मंजूरी

बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदारों को ऋण सुविधाओं संबंधी जिन प्रस्तावों की स्वीकृति उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की गयी हो उनकी सूचना बोर्ड को दी जानी चाहिए । साथ ही, जब बोर्ड से इतर किसी प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित के लिए ऋण सुविधा स्वीकृत की गयी हो तो ऐसे लेनदेनों की भी सूचना बोर्ड को दी जानी चाहिए:

- कोई फर्म, जिसमें वित्तपोषक बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी के किसी रिश्तेदार का पर्याप्त हित हो, अथवा भागीदार या गारंटीकर्ता के रूप में उसका हित निहित हो ; या

- कोई कंपनी, जिसमें वित्तपोषक बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी के किसी रिश्तेदार का पर्याप्त हित हो, अथवा निदेशक या गारंटीकर्ता के रूप में उसका हित निहित हो,

2.2.2.2 ऋण सुविधा स्वीकृत करने संबंधी उक्त मानदंड संविदाएं मंजूर करने पर भी समान रूप से लागू होंगे।

2.2.2.3 <u>सहायता संघ व्यवस्थाओं के मामले में दिशा-निर्देश लागू होना</u>

सहायता संघ व्यवस्थाओं के मामले में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदारों को ऋण सुविधाएं मंजूर करने संबंधी उक्त मानदंड भाग लेनेवाले सभी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदारों पर लागू होंगे।

2.2.2.4 <u>कुछ अभिव्यक्तियों की व्याप्ति</u>

(i) 'रिश्तेदार' की व्याप्ति वही है जैसी पैरा 2.1.6 में उल्लिखित है ।

(ii) 'वरिष्ठ अधिकारी' शब्द से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

क) राष्ट्रीयकृत बैंक में ग्रेड IV और ऊपर के वरिष्ठ प्रबंधन स्तर का कोई अधिकारी, और

ख) समतुल्य स्केल में निम्नलिखित का कोई अधिकारी

- भारतीय स्टेट बैंक तथा सहयोगी बैंक, और
- भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी में ।

(iii) 'ऋण सुविधा' शब्द में निम्नलिखित की जमानत पर दिये गये ऋण और अग्रिम शामिल नहीं होंगे -

(क) सरकारी प्रतिभूति

(ख) जीवन बीमा पालिसी

(ग) सावधि या अन्य जमाराशियां

(घ) छोटी राशि अर्थात् 25,000 रुपये तक के अस्थायी ओवरड्राफ्ट, और

(ङ) एक बार में 5,000 रुपये तक के चेकों की आकस्मिक खरीद ।

(iv) ऋण सुविधा में अधिकारियों पर सामान्य तौर पर लागू किसी योजना के अंतर्गत बैंक के किसी अधिकारी को स्वीकृत आवास ऋण, कार अग्रिम, उपभोग ऋण आदि जैसे ऋण और अग्रिम शामिल नहीं होंगे।

(v) 'पर्याप्त हित' शब्द से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(ढ ङ) में दिया गया अर्थ अभिप्रेत होगा।

2.2.2.5 इस संदर्भ में बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य करने होंगे -

(i) वे वित्तपोषक बैंक के बोर्ड की समिति या अन्य उपयुक्त प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किसी ऋण प्रस्ताव में /संविदा की मंजूरी में बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के रिश्तेदार के हित का पता लगाने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करें ;

(ii) प्रत्येक ऋणकर्ता से निम्नलिखित के आशय की घोषणा प्राप्त करें -

(क) यदि वह व्यक्ति है तो यह कि वह बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी का विनिर्दिष्ट नज़दीकी रिश्तेदार तो नहीं है,

(ख) यदि वह साझेदारी या हिन्दू अविभाजित परिवार की फर्म हो तो यह कि कोई भी भागीदार अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार का कोई भी सदस्य बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी का विनिर्दिष्ट नजदीकी रिश्तेदार नहीं है, और

(ग) यदि वह संयुक्त पूंजी कंपनी हो तो यह कि उसका कोई भी निदेशक बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार नहीं है।

(iii) वे यह सुनिश्चित करें कि घोषणा में ऋणकर्ता के वित्तपोषक बैंक के वरिष्ठ अधिकारी से संबंध, यदि कोई हो, के ब्यौरे दिये गये हों ।

(iv) किसी ऋण सुविधा की स्वीकृति के लिए यह शर्त रखें कि यदि उक्त के संदर्भ में ऋणकर्ता द्वारा की गयी घोषणा गलत पायी गयी तो बैंक को ऋण सुविधा का प्रतिसंहरण (रिवोक) करने और / या उसे वापस मांगने का अधिकार होगा।

(v) वे इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए बैंक के अधिकारियों की सेवा-शर्तों से संबंधित विनियमों अथवा नियमों में अन्य बातों के साथ साथ अपेक्षित संशोधन, यदि कोई हो, के बारे में अपने विधिक परामर्शदाताओं से परामर्श करके विचार करें।

2.2.3 <u>ओज़ोन कम करने वाले पदार्थ बनाने वाले/उनका उपभोग करने वाले उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर प्रतिबंध</u>

2.2.3.1भारत सरकार ने सूचित किया है कि मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार, जिसका भारत एक पक्षकार है, ओज़ोन कम करने वाले पदार्थों (ओ डी एस) को निर्धारित अनुसूची के अनुसार चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना है । सुलभ संदर्भ के लिए मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल के **अनुबंध 1 और 2** में दिये गये रसायनों की सूची संलग्न है । उक्त प्रोटोकॉल में प्रमुख ओ डी एस की पहचान की गयी है तथा भविष्य में उनके उत्पादन /उपभोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए समय सीमा तय की गयी है, ताकि अंततः उन्हें पूर्णतः समाप्त किया जा सके। भारत में ओडीएस चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की परियोजनाएं मल्टीलैटरल

फंड से अनुदान के लिए पात्र हैं। चरणबद्ध रूप से हटाये जानेवाले कार्यक्रम में शामिल किये गये क्षेत्र नीचे दिये गये हैं :

क्षेत्र	पदार्थ का प्रकार
फोम उत्पाद	क्लोरोफ्लोरो कार्बन - 11 (सीएफसी - 11)
रेफ्रिजरेटर और एअर कंडिशनर	सीएफसी - 12
एरोसोल उत्पाद	सीएफसी - 11 और सीएफसी - 12 का मिश्रण
सफाई संबंधी उत्पादों में प्रयुक्त विलयक	सीएफसी-113 कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म
अग्निशामक	हेलोन्स - 1211, 1301, 2402

2.2.3.2 बैंकों को उक्त ओडीएस का उपभोग / उत्पादन करने के लिए नए यूनिटों की स्थापना हेतु वित्त प्रदान नहीं करना चाहिए। इस संबंध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बैंकों को जारी 16 फरवरी 1996 का परिपत्र सं. एफआइ /12/96-97 देखें, जिसमें यह सूचित किया गया है कि सीएफसी का उपयोग करनेवाले एरोसोल यूनिटों के निर्माण में संलग्न छोटे/ मझौले यूनिटों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जानी चाहिए तथा यह कि इस क्षेत्र में सहायता प्राप्त किसी परियोजना के लिए कोई पुनर्वित्त प्रदान नहीं किया जायेगा ।

2.2.4 चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत संवेदनशील पण्यों की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर प्रतिबंध

2.2.4.1 निदेश जारी करना

(i) बैंक ऋण की सहायता से आवश्यक पण्यों के सट्टे के प्रयोजन से धारण तथा फलस्वरूप होनेवाली मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बात से संतुष्ट होकर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, सभी वाणिज्य बैंकों को विनिर्दिष्ट संवेदनशील पण्यों की जमानत पर बैंक अग्रिमों पर विनिर्दिष्ट प्रतिबंध लगाते हुए समय-समय पर निदेश जारी किये हैं ।

(ii) सामान्य तौर पर संवेदनशील पण्य माने जानेवाले पण्य निम्नलिखित हैं :

(क) खाद्यान्न अर्थात् अनाज और दालें,

(ख) देश में उत्पादित चुनिंदा प्रमुख तिलहन अर्थात् मूंगफली, तोरिया/सरसों, बिनौला, अलसी और एरंड, उनके तेल, वनस्पति तथा सभी आयातित तेल और वनस्पति तेल,

(ग) कच्ची रूई और कपास,

(घ) चीनी / गुड़ / खांडसारी,

(ङ) सूती वस्त्र जिसमें सूती धागे, मानव निर्मित रेशे और धागे तथा मानव निर्मित रेशों से और अंशतः सूती धागों एवं अंशतः मानव निर्मित रेशों से बनाये गये कपड़े शामिल हैं ।

2.2.4.2 वर्तमान में चयनात्मक ऋण नियंत्रण से छूट प्राप्त पण्य

(i) वर्तमान में निम्नलिखित पण्यों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी सभी विनिर्देशों से छूट प्राप्त है :

क्र. सं.	पण्य	छूट लागू होने की तारीख
1.	दालें	21.10.1996
2.	अन्य खाद्यान्न (अर्थात् मोटे अनाज)	21.10.1996
3.	तिलहन (अर्थात् मूंगफली, तोरिया / सरसों, बिनौला, अलसी, एरंड)	21.10.1996
4.	तेल (अर्थात् मूंगफली का तेल, तोरिया का तेल, सरसों का तेल, बिनौले का तेल, अलसी का तेल, एरंड का तेल) वनस्पति सहित	21.10.1996
5.	सभी आयातित तिलहन और तेल	21.10.1996
6.	चीनी, आयातित चीनी सहित, बफर स्टॉक तथा चीनी मिलों के पास चीनी के जारी न किये गये स्टॉक को छोड़कर	21.10.1996
7.	गुड़ और खांडसारी	21.10.1996
8.	रूई और कपास	21.10.1996
9.	धान / चावल	18.10.1994
10.	गेहूं*	12.10.1993
* 8.4.97 से 7.7.97 तक अस्थायी तौर पर चयनात्मक ऋण नियंत्रण में शामिल		

बैंक इन संवेदनशील पण्यों की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर विवेकपूर्ण मार्जिन निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

2.2.4.3 चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत शामिल पण्य

(i) वर्तमान में निम्नलिखित पण्यों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी विनिर्देशों के अंतर्गत शामिल किया गया है :

(क) चीनी मिलों के पास चीनी का बफर स्टॉक

(ख) निम्नलिखित को दर्शानेवाले चीनी मिलों के पास चीनी के जारी न किये गये स्टॉक

- लेवी चीनी, और
- मुक्त बिक्री वाली चीनी

2.2.4.4 चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी विनिर्देश

(i) चीनी पर मार्जिन

पण्य	न्यूनतम मार्जिन	लागू होने की तारीख
(क) चीनी का बफर स्टॉक	0%	01.04.1987
(ख) निम्नलिखित को दर्शानेवाले चीनी मिलों के पास चीनी के जारी न किये गये स्टॉक ▪ लेवी चीनी ▪ मुक्त बिक्री वाली चीनी	 10% @	 22.10.1997 10.10.2000

@ मुक्त बिक्री वाली चीनी के लिए ऋण संबंधी मार्जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित बैंकों द्वारा उनके वाणिज्यिक विवेक के आधार पर निश्चित किया जायेगा ।

(ii) चीनी के स्टॉकों का मूल्यन

(क) चीनी मिलों द्वारा बैंकों के पास जमानत के रूप में रखे गये लेवी चीनी के जारी न किये स्टॉकों का मूल्य सरकार द्वारा निश्चित लेवी मूल्य पर निर्धारित किया जायेगा ।

(ख) चीनी मिलों द्वारा बैंकों के पास जमानत के रूप में रखे गये चीनी के बफर स्टॉक सहित मुक्त बिक्री वाली चीनी के जारी न किये स्टॉकों का मूल्यन पिछले तीन महीनों में वसूल मूल्य का औसत (चल औसत) या वर्तमान बाज़ार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए मूल्य के अंतर्गत उत्पादन शुल्क शामिल नहीं किया जायेगा ।

(iii) ब्याज दरें

बैंकों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले पण्यों के लिए ऋण दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गयी है ।

(iv) अन्य परिचालनात्मक विनिर्देश

(क) अन्य परिचालनात्मक विनिर्देश अलग-अलग पण्यों के लिए अलग-अलग हैं। जब कभी किसी विनिर्दिष्ट संवेदनशील पण्य के लिए चयनात्मक ऋण नियंत्रण को पुनः लागू किया जाता है उस समय ये विनिर्देश सूचित किये जाते हैं ।

(ख) यद्यपि चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत शामिल किये गये एकमात्र संवेदनशील पण्य अर्थात् चीनी मिलों के पास बफर स्टॉक और लेवी /मुक्त बिक्री चीनी के जारी न किये गये स्टॉक पर पहले का कोई भी विनिर्देश वर्तमान

में लागू नहीं है तथापि चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्निहित उद्देश्यों को समझने की दृष्टि से इन्हें *अनुबंध 3* में प्रस्तुत किया गया है, ताकि बैंक चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी पण्यों में लेनदेन करनेवाले ग्राहकों को ऐसी किसी ऋण सुविधा की अनुमति न दें जिससे निदेश के प्रयोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर दुष्प्रभावित हों ।

(v) शक्तियों का प्रत्यायोजन

(क) चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले संवेदनशील पण्यों से संबंधित ऋण प्रस्तावों का अनुमोदन करने की शक्तियां से संबंधित विषय की समीक्षा की गयी है तथा यह निर्णय किया गया है कि बैंकों द्वारा 1 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रस्ताव भारतीय रिज़र्व बैंक को चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन उसके पूर्व अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने की वर्तमान प्रथा समाप्त कर दी जायेगी और बैंकों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे अपनी अलग-अलग ऋण नीतियों के अनुसार ऋण प्रस्ताव मंजूर करें। तदनुसार, बैंकों को संवेदनशील पण्यों का लेनदेन करनेवाले ऋणकर्ताओं के संबंध में 1 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रस्ताव पूर्वानुमोदन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे इन अनुदेशों को अपने नियंत्रक कार्यालयों/ शाखाओं के बीच परिचालित करें तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं कि उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग चयनात्मक ऋण नियंत्रण की संकल्पना के स्थूल उद्देश्यों की उपेक्षा किये बिना अत्यंत सावधानी के साथ किया जाता है ।

2.2.5 अधिकारियों सहित स्टाफ सदस्यों को कमीशन का भुगतान करने पर प्रतिबंध

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10(1) (ख) (ii) यह निर्दिष्ट करती है कि कोई बैंकिंग कंपनी ऐसे किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं देगी या ऐसे किसी व्यक्ति को रोजगार पर बने नहीं रहने देगी जिसका पारिश्रमिक या जिसके पारिश्रमिक का कोई भाग कमीशन के रूप में या कंपनी के लाभों के शेयरों के रूप में प्राप्त होता हो । साथ ही, धारा 10 (1) (ख) (ii) के खंड (ख) में ऐसे व्यक्ति को कमीशन का भुगतान करने की अनुमति देता है जो नियमित स्टाफ होने से भिन्न रूप में उसे कंपनी में काम कर रहा हो। अतः बैंकों को अपने स्टाफ सदस्यों और अधिकारियों को ऋणों की वसूली के लिए कमीशन नहीं देना चाहिए ।

2.3 अन्य ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध

2.3.1 शेयरों, डिबेंचरों और बांडों की जमानत पर ऋण और अग्रिम

बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे शेयरों, डिबेंचरों और बांडों की जमानत पर दिये जानेवाले ऋणों और अग्रिमों की स्वीकृति के संबंध में उन विनियामक प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करें, जिनके ब्यौरे एक्सपोज़र संबंधी मानदंडों पर 1 जुलाई 2009 के मास्टर परिपत्र के साथ पठित 28 अगस्त 1998 के 'शेयरों और डिबेंचरों की

जमानत पर बैंक वित्त' नामक मास्टर परिपत्र तथा 7 जून 2005 के परिपत्र विदेश स्थित कंपनियों में इक्विटी के अधिग्रहण का वित्तपोषण में दिये गये हैं । शेयर तथा डिबेंचर आदि की जमानत पर दिए गए ऋण तथा अग्रिमों पर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रतिबंध होंगे -

- अंशतः प्रदत्त शेयरों की जमानत पर कोई भी ऋण प्रदान नहीं किया जाए।
- शेयरों तथा डिबेंचरों की प्राथमिक जमानत पर भागीदारी/स्वामित्व प्रतिष्ठानों को कोई भी ऋण प्रदान नहीं किया जाए।

2.3.2 मुद्रा बाज़ार म्युच्युअल फंड

मुद्रा बाज़ार म्युच्युअल फंडों के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी दिशानिर्देश वापस ले लिये गये हैं तथा इस संबंध में बैंकों को सेबी की विनियमावली से दिशानिर्देश लेना है। तथापि, जो बैंक /वित्तीय संस्थाएं मुद्रा बाजार म्युच्युअल फंड स्थापित करने के इच्छुक हैं, उन्हें पंजीकरण के लिए सेबी से संपर्क करने के पूर्व इस अतिरिक्त कार्यकलाप के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

2.3.3 अन्य बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीदों की जमानत पर अग्रिम

ऐसे उदाहरण सामने आये हैं जिनमें कुछ बैंकों द्वारा जारी की गयी नकली मीयादी जमा रसीदों का उपयोग अन्य बैंकों से अग्रिम प्राप्त करने के लिए किया गया। इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में बैंकों को चाहिए कि वे अन्य बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीदों या अन्य मीयादी जमा रसीदों की जमानत पर अग्रिम मंजूर न करें ।

2.3.4 एजेंटों / मध्यस्थों को जमाराशि जुटाने के पतिफल पर आधारित अग्रिम

बैंकों को मौजूदा / भावी ऋणकर्ताओं की ऋण संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए एजेंटों/ मध्यस्थों के माध्यम से संसाधन जुटाने जैसी अनैतिक प्रथाओं का पक्षकार बनने से अथवा जमाराशि जुटाने के प्रतिफल के आधार पर मध्यस्थों को, जिन्हें उनकी कारोबार संबंधी वास्तविक आवश्यकताओं के लिए निधियों की जरूरत न हो, ऋण स्वीकृत करने से बचना चाहिए ।

2.3.5 जमा प्रमाणपत्रों की जमानत पर ऋण

बैंक जमा प्रमाणपत्रों की जमानत पर ऋण स्वीकृत नहीं कर सकते । साथ ही, उन्हें अपने ही जमा प्रमाणपत्रों की परिपक्वता पूर्व वापसी-खरीद करने की भी अनुमति नहीं है । इसकी समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि उधार देने तथा वापसी-खरीद पर लगाए गए इन प्रतिबंधों को केवल म्युच्युअल फंडों द्वारा धारित जमा प्रमाणपत्रों के संबंध में अगली सूचना तक शिथिल किया जाए । म्युच्युअल फंडों को ऐसे ऋण प्रदान करते समय बैंकों को सेबी (म्युच्युअल फंड) विनियमावली, 1996 के पैराग्राफ 44(2) के प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए । साथ ही, यदि ऐसा वित्त ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों को दिया गया हो तो, वह पहले की तरह बैंक के पूंजी बाज़ार एक्सपोजर का हिस्सा होगा ।

2.3.6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त

इस संबंध में बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त पर 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र देखें ।

2.3.7 मूलभूत सुविधाओं संबंधी परियोजनाओं /आवास परियोजनाओं का वित्तपोषण

2.3.7.1 आवास के लिए वित्त

इस संबंध में बैंक कृपया आवास के लिए वित्त पर 1 जुलाई 2008 का मास्टर परिपत्र देखें ।

2.3.7.2 मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश

मूलभूत सुविधा क्षेत्र के अत्यधिक महत्व और विभिन्न मूलभूत सेवाओं को दी जा रही उच्च प्राथमिकता की दृष्टि से इस मामले की समीक्षा भारत सरकार से परामर्श करके की गयी है और मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश नीचे दिये गये हैं ।

2.3.7.3 'मूलभूत सुविधा ऋण' की परिभाषा

ऋणदाताओं (अर्थात् बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) द्वारा किसी मूलभूत सुविधा के लिए, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है, किसी रूप में दी गयी ऋण सुविधा 'मूलभूत सुविधा ऋण' की परिभाषा के अंतर्गत आती है। दूसरे शब्दों में, निम्नलिखित कार्यों में संलग्न किसी ऋण लेने वाली कंपनी को दी गयी ऋण सुविधा :

- विकास या
- परिचालन और रखरखाव या
- निम्नलिखित में से किसी क्षेत्र की परियोजना वाली किसी मूलभूत सुविधा, अथवा इसी स्वरूप की किसी मूलभूत सुविधा का विकास, परिचालन और रखरखाव :

i. कोई सड़क, जिसमें चुंगी वाली सड़क शामिल है, कोई पुल अथवा कोई रेल प्रणाली ;
ii. कोई राजमार्ग परियोजना, जिसमें राजमार्ग परियोजना के अभिन्न भाग के अन्य कार्यकलाप शामिल हैं ;
iii. कोई बंदरगाह, हवाई अड्डा, देशांतर्गत जलमार्ग या देशांतर्गत बंदरगाह;
iv. कोई जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल शोधन प्रणाली, स्वच्छता एवं मल निकासन प्रणाली अथवा ठोस कचरे के प्रबंधन की प्रणाली;
v. दूरसंचार सेवाएं चाहे आधारभूत (बेसिक) अथवा सेलुलर, जिनमें रेडियो पेजिंग, देशी उपग्रह सेवा (अर्थात् दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय कंपनी के स्वामित्व वाला और उसके द्वारा संचालित उपग्रह), ट्रंक कॉल का नेटवर्क, ब्रॉड बैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं;
vi. कोई औद्योगिक पार्क अथवा विशेष आर्थिक अंचल (जोन);
vii. बिजली उत्पादन अथवा उत्पादन और वितरण;

viii. प्रेषण अथवा वितरण की नई लाइनों का नेटवर्क डालकर विद्युत प्रेषण अथवा वितरण;

ix. कृषि संसाधन और कृषि निवेश वस्तुओं की आपूर्ति से संबद्ध परियोजनाओं से संबंधित निर्माण;

x. संसाधित कृषि उत्पादों, फल, सब्ज़ियां और फूल जैसी विनश्य वस्तुओं के परिरक्षण तथा भंडारण के लिए निर्माण, जिसमें गुणवत्ता जांच की सुविधाएं भी शामिल हैं;

xi. शैक्षणिक संस्थाएं तथा अस्पतालों का निर्माण;

xii. गैस, कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम पाईपलाइने डालना तथा उनका रख-रखाव करना ।

xiii. इसी प्रकार की कोई अन्य मूलभूत सुविधा ।

2.3.7.4 <u>वित्तपोषण के लिए मानदंड</u>

बैंक /वित्तीय संस्थाएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र द्वारा शुरू की गयीं तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य, अर्थक्षम और बैंकों को स्वीकार्य परियोजनाएं बनाने के लिए स्वतंत्र हैं :

(i) मूलभूत सुविधाओं के लिए मंजूर की जाने वाली राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों की समग्र सीमा के अंदर होनी चाहिए ।

(ii) तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय क्षमता और बैंक के लिए स्वीकार्य परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के पास अपेक्षित निपुणता होनी चाहिए, जो मुख्य रूप से जोखिम विश्लेषण और संवेदनशीलता विश्लेषण के विशेष संदर्भ में होनी चाहिए।

(iii) सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा हाथ में ली गयीं परियोजनाओं के बारे में मीयादी ऋण केवल कंपनियों (अर्थात् कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अथवा प्रासंगिक संविधि के अंतर्गत स्थापित निगम) को ही स्वीकृत किये जाने चाहिए। साथ ही, इस तरह के मीयादी ऋण परियोजना के लिए रखे गये बजट संसाधनों के स्थान पर या उनके बदले में नहीं होने चाहिए। मीयादी ऋण बजट संसाधनों का पूरक तभी हो सकता है जब इस प्रकार की पूरक व्यवस्था पर परियोजना की डिजाइन में ही विचार किया गया हो। जहां इस प्रकार की सरकारी क्षेत्र की इकाइयां मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत विशेष प्रयोजन प्रणाली (एसपीवी) शामिल कर सकती हैं, वहीं बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यह ऋण/ निवेश राज्य सरकारों के बजट के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। इस प्रकार का वित्तपोषण चाहे ऋण देकर किया गया हो अथवा बांडों में निवेश के द्वारा, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इस प्रकार की परियोजनाओं की संभाव्यता और बैंक

को स्वीकार्यता के बारे में पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परियोजना से इतना राजस्व मिलेगा कि वह ऋण चुकौती संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके और ऋण की चुकौती /किस्तों की अदायगी बजट संसाधनों में से न करनी पड़े। इसके अतिरिक्त, विशेष प्रयोजन प्रणालियों के मामले में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधि प्रदान करने के प्रस्ताव निगरानी की जा सकने वाली विशिष्ट परियोजनाओं के लिए हैं । यह पाया गया है कि कुछ बैंकों ने राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान की है जो उपर्युक्त मानदंडों के अनुरूप नहीं है । अतः बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें । पुनर्वास के प्रयास के भाग के रूप में बीमार राज्य सरकारी उपक्रमों के बॉण्डों में निवेश करते समय भी उनका कड़ाई से पालन किया जाए ।

(iv) बैंक निजी क्षेत्र की उन विशेष प्रयोजन प्रणालियों के लिए ऋण दे सकते हैं जो वित्तीय दृष्टि से संभावनायुक्त हैं और केवल वित्तीय मध्यवर्ती के रूप में कार्य नहीं कर रही हैं । बैंक यह सुनिश्चित करें कि मूल /प्रायोजक कंपनी के दिवालिया होने या वित्तीय कठिनाइयों के कारण विशेष प्रयोजन प्रणाली की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

2.3.7.5 <u>बैंक किस प्रकार का वित्तपोषण कर सकते हैं</u>

(i) मूलभूत सुविधा परियोजनाओं की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक कार्यकारी पूंजीगत वित्त, मीयादी ऋण, परियोजना ऋण, परियोजना कंपनी के बांडों और डिबेंचरों में अभिदान करके /अधिमान शेयर /ईक्विटी शेयर लेकर ऋण सुविधा दे सकते हैं, जिसे परियोजना वित्त के भाग के रूप में लिया गया हो जिसे "दिया गया अग्रिम" माना जाये और किसी अन्य रूप में भी निधिक अथवा गैर निधिक सुविधा दे सकते हैं ।

(ii) <u>अंतरण वित्तपोषण (टेक-आउट फाइनान्सिंग)</u>

बैंक आइडीएफसी /अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ हिस्सेदारी के रूप में वित्तपोषण (टेक-आउट फाइनान्सिंग)व्यवस्था में भाग ले सकते हैं अथवा आइडीएफसी/अन्य वित्तीय संस्थाओं से चलनिधि सहायता ले सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था की महत्वपूर्ण बातों का संक्षिप्त उल्लेख पैरा 3.9.2(च) में किया गया है। बैंक 29 फरवरी 2000 के परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी. 144/ 21.04.048/ 2000 में अंतरण वित्तपोषण से संबंधित अनुदेशों से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं ।

(iii) <u>अंतर-संस्थागत गारंटियां</u>

बैंकों को उधार देने वाली अन्य संस्थाओं के पक्ष में गारंटी जारी करने की अनुमति है, परंतु शर्त यह होगी कि गारंटी निर्गत करने वाला बैंक परियोजना की लागत का कम-से-कम 5 प्रतिशत भाग निधिक शेयर के रूप में ले तथा सामान्य ऋण-

मूल्यांकन, मॉनीटरिंग व परियोजना के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करे । अंतर - संस्थागत गारंटी के संबंध में विस्तृत अनुदेशों के लिए पैरा 3.19 देखें।

(iv) प्रवर्तकों की ईक्विटी का वित्तपोषण

28 अगस्त 1998 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 90/ 13.07.05/98 के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया था कि कंपनी की इक्विटी पूंजी में प्रवर्तकों का अंशदान उनके अपने संसाधनों से होना चाहिए और बैंक अन्य कंपनियों के शेयर लेने के लिए सामान्यतः अग्रिम प्रदान न करें। मूलभूत सुविधा क्षेत्र को दिये गये महत्व की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि कतिपय परिस्थितियों में इस नीति में अपवाद स्वरूप छूट दी जा सकती है, जो भारत में मूलभूत सुविधा परियोजना के कार्यान्वयन अथवा परिचालन में लगी मौजूदा कंपनी में प्रवर्तक के शेयरों के अभिग्रहण हेतु वित्त प्रदान करने के लिए होगी। जिन स्थितियों में यह अपवाद हो सकता है वे निम्नलिखित हैं :

(i) बैंक वित्त उपर्युक्त पैरा (क) में यथापरिभाषित मूलभूत सुविधाएं देने वाली मौजूदा कंपनियों के शेयरों के अभिग्रहण के लिए ही होगा । इसके अतिरिक्त, इस तरह के शेयरों का अभिग्रहण उन कंपनियों के मामले में होना चाहिए जहां मौजूदा विदेशी प्रवर्तक (और /अथवा देशी संयुक्त प्रवर्तक) सेबी के दिशानिर्देशों (जहां भी लागू हो) का अनुपालन करते हुए अपने बहुसंख्य शेयरों का विनिवेश करने का स्वैच्छिक प्रस्ताव करते हों ।

(ii) जिन कंपनियों को ऋण दिये जायें उनकी, अन्य बातों के साथ-साथ, शुद्ध माली हैसियत संतोषजनक होनी चाहिए ।

(iii) जिन कंपनियों को वित्त प्रदान किया जाये और वे तथा उन कंपनियों के प्रवर्तक / निदेशक बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के प्रति चूककर्ता नहीं होने चाहिए।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋणकर्ता का मूलभूत सुविधा वाली कंपनी में भारी हित है, बैंक वित्त अभिग्रहीत की जाने वाली कंपनी में प्रवर्तक के हिस्से का अभिग्रहण करने के लिए अपेक्षित वित्त के 50 प्रतिशत तक ही सीमित होना चाहिए ।

(v) दिया जाने वाला वित्त ऋणकर्ता कंपनी की आस्तियों अथवा अभिग्रहीत कंपनी की आस्तियों पर होना चाहिए, न कि उस कंपनी अथवा अभिग्रहीत की जाने वाली कंपनी के शेयरों की जमानत पर। ऋणकर्ता कंपनी /अभिग्रहीत की जाने वाली कंपनी के शेयर अतिरिक्त जमानत के रूप में स्वीकार किये जा सकते हैं, न कि प्राथमिक जमानत के रूप में। बैंक को प्रभारित जमानत विपणनयोग्य होनी चाहिए ।

(vi) बैंक हर समय निर्धारित मार्जिन रखना सुनिश्चित करें ।

(vii) बैंक ऋणों की अवधि सात वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु बैंकों के निदेशक मंडल परियोजना की वित्तीय सक्षमता के लिए विशिष्ट मामलों को आवश्यकतानुसार अपवाद बना सकते हैं ।

(viii) यह वित्तपोषण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन की शर्त पर होगा।

(ix) प्रवर्तकों द्वारा ईक्विटी शेयर के अभिग्रहण का वित्तपोषण करने वाले बैंकों को चाहिए कि पूंजी बाजारों में किसी भी रूप में बैंकों का कुल एक्सपोज़र (निधि वित्तपोषण आधारित तथा गैर-निधि आधारित दोनों) पिछले वर्ष के 31 मार्च को उनकी निवल मालियत के 40 प्रतिशत की विनियामक सीमा के भीतर हो ।

(x) बैंक वित्त के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया जाना चाहिए ।

2.3.7.6 <u>मूल्यांकन</u>

(i) सरकार की स्वाधिकृत संस्थाओं द्वारा हाथ में ली गयीं मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के संबंध में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे ऐसी परियोजनाओं की लाभप्रदता और स्वीकार्यता के प्रति काफी सर्तक रहें। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना से संबंधित अलग-अलग घटकों और प्रतिलाभों को समुचित रूप से परिभाषित और मूल्यांकित किया जाता है। राज्य सरकार की गारंटियों को संतोषजनक ऋण मूल्यांकन के लिए उसका विकल्प नहीं माना जाना चाहिए और ऋणों/बांडों की चुकौती के लिए नियमित स्थायी अनुदेशों /आवधिक भुगतान अनुदेशों के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी भी बैंक के साथ किसी सूचित व्यवस्था के आधार पर ऐसी मूल्यांकन अपेक्षाओं को कम नहीं किया जाना चाहिए ।

(ii) मूलभूत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं के वित्तपोषण का काम प्रायः विशेष प्रयोजन प्रणाली (स्पेशल पर्पज़ वेहिकल्स)के माध्यम से किया जाता है और इसलिए ऋण देनेवाली ऐजेंसियों के पास विशेष मूल्यांकन-कौशल का होना आवश्यक होगा। परियोजना संबंधी विभिन्न जोखिमों की पहचान करना, परियोजना संबंधी संविदाओं का मूल्यांकन करके जोखिमों को कम करने की संभावनाओं का मूल्यांकन करना, परियोजना के काम में भागीदार विभिन्न संस्थाओं की ऋण पात्रता एवं परियोजना का काम करने के लिए उनके द्वारा की गई विभिन्न संविदाओं के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का मूल्यांकन करना मूल्यांकन-प्रक्रिया के अभिन्न अंग होंगे। इस संबंध में बैंक /वित्तीय संस्थाएं ऋण संबंधी प्रस्तावों का मूल्यांकन करने व परियोजनाओं की प्रगति/उनके कार्यनिष्पादन पर नजर रखने के लिए उपयुक्त अनुवीक्षण समितियों /विशेष कक्षों के गठन पर विचार कर

सकते हैं। प्रायः ऐसी परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली निधि की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक होगा कि इनके लिए बैंक/वित्तीय संस्थाएं संयुक्त रूप से वित्तपोषण करें या संघीय सहायता व्यवस्था (कंसॉर्शियम ऐरेंजमेंट) या समूहन व्यवस्था (सिंडीकेशन ऐरेंजमेंट) के तहत एक से अधिक बैंक वित्त उपलब्ध कराएं। ऐसी परिस्थितियों में, इन परियोजनाओं को ऋण देने में सहभागी बैंक /वित्तीय संस्थाएं अपनी ओर से मूल्यांकन के प्रयोजन से, भाग लेने वाले बैंक /वित्तीय संस्था द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट देख सकते हैं या उस परियोजना का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करा सकते हैं ।

2.3.7.7 विवेकपूर्ण अपेक्षाएं

(i) ऋण प्रदान किये जाने के संबंध में विवेकपूर्ण सीमाएं

सामूहिक ऋणकर्ताओं की ऋण सीमा को बैंक की पूंजीगत निधियों के 40 प्रतिशत के मानदंड से 10 प्रतिशत अधिक (अर्थात् 50 प्रतिशत तक) बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते अतिरिक्त ऋण की मंजूरी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं से संबंधित हो। एकल ऋणकर्ता को ऋण जोखिम की सीमा को बैंक की पूंजीगत निधियों के 15 प्रतिशत के मानदंड से 5 प्रतिशत अधिक (अर्थात् 20 प्रतिशत तक) बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते अतिरिक्त ऋण की मंजूरी उपर्युक्त पैरा (क) में यथापरिभाषित मूलभूत सुविधाओं के लिए हो। उपर अनुमत ऋण सीमा के अतिरिक्त, बैंक अपवादात्मक स्थितियों में अपने-अपने बोर्डों का अनुमोदन लेकर पूंजी निधियों के 5 प्रतिशत तक और अधिक ऋण देने पर विचार कर सकते हैं। बैंकों को चाहिए कि वे अपने वार्षिक वित्तीय विवरण की 'लेखा संबंधी टिप्पणी' में ऋण सीमा, जहां बैंक ने संबंधित वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण ऋण सीमाओं को बढ़ाया था, के संबंध में समुचित रूप से जानकारी प्रकट करें।

(ii) पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भार का निर्धारण

पूंजी पर्याप्तता के मामले में बैंक समय-समय पर संशोधित किए गए पूंजी पर्याप्तता एवं बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन देखें ।

(iii) आस्ति-देयता प्रबंध

मूलभूत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं के दीर्घावधि वित्तपोषण से आस्तियों और देयताओं के बीच असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है, विशेष रूप से तब जब ऐसा वित्तपोषण किसी बैंक की देयताओं की अवधिपूर्णता रूपरेखा के अनुरूप न हो। इसलिए बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपनी आस्तियों तथा देयताओं की स्थिति पर भली-भाँति निगाह रखें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसी परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने के कारण नकदी संबंधी असंतुलन के शिकार न हो जाएं ।

(iv) प्रशासनिक व्यवस्था

मूलभूत परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो। इसलिए बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को ऋण-प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए स्पष्ट कार्यविधि /प्रक्रिया निश्चित करनी चाहिए और निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अनिर्णीत रह गये आवेदन-पत्रों की समीक्षा के लिए उपयुक्त निगरानी शुरू करनी चाहिए। वित्तपोषण के काम में शामिल प्रत्येक संस्था द्वारा एक ही प्रकार का मूल्यांकन बार-बार कराये जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे विलंब होता है तथा प्रमुख वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्दिष्ट किये गये मानदंडों को, बैंकों को, मोटे तौर पर, स्वीकार कर लेना चाहिए। साथ ही, परियोजना के कार्यान्वयन पर निरंतर निगरानी रखने के लिए एक व्यवस्था शुरू करने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ऋण का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जिस प्रयोजन के लिए वह मंजूर किया गया था ।

2.3.7.8 टेक-आउट वित्तपोषण /चलनिधि सहायता

(i) अंतरण (टेक-आउट) वित्तपोषण व्यवस्था

टेक-आउट (अंतरण) वित्तपोषण व्यवस्था वस्तुतः एक ऐसा तरीका है जिससे बैंक, मूलभूत सुविधाओं के विकास से संबंधित परियोजनाओं को लम्बी अवधि के ऋण देने के कारण होने वाले आस्तियों और देयताओं की अवधिपूर्णता संबंधी असंतुलनों से बच सकेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत मूलभूत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले बैंकों की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी या किसी अन्य वित्तीय संस्था के साथ यह व्यवस्था होगी कि वह अपनी लेखाबहियों के बकायों को पूर्वनिर्धारित तरीके से उस संस्थाओं को अंतरित कर सके। आइडीएफसी और भारतीय स्टेट बैंक ने टेक-आउट वित्तपोषण के बारे में कई तरीके तय किए हैं जिनसे बैंकों की विभिन्न आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी और नकदी, आस्ति-देयता असंतुलन,परियोजना-मूल्यांकन-कौशल की सीमित उपलब्धता इत्यादि से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दिया जा सकेगा। इन दोनों संस्थाओं ने एक मानक करार भी तैयार किया है जो विशिष्ट परियोजनाओं के लिए, परियोजना संबंधी अन्य ऋण-दस्तावेजों के साथ, दस्तावेज के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक और आइडीएफसी के बीच किया गया करार अन्य बैंकों के लिए, आइडीएफसी या अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ प्रायः उसी तरह का करार करने के लिए संदर्भमूलक दस्तावेज का काम कर सकता है ।

(ii) आइडीएफसी द्वारा चलनिधि सहायता

टेक-आउट वित्तपोषण संबंधी व्यवस्था के विकल्प के रूप में आइडीएफसी और भारतीय स्टेट बैंक ने बैंकों को नकदी सहायता प्रदान करने की एक योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी

संबंधित बैंक को एक निश्चित अवधि (मान लीजिए पाँच वर्ष) के बाद पूरा बकाया ऋण (मूलधन + वसूला न गया ब्याज) या उसके एक निश्चित भाग की धनराशि, मंजूरी के समय ही, पुनर्वित्त के रूप में उपलब्ध कराने का वचन देता है। परियोजना संबंधी ऋण-जोखिम संबंधित बैंक का होगा, न कि आइडीएफसी का । बैंक आइडीएफसी को ऋण की राशि तथा उस पर देय ब्याज, निर्धारित शर्तों के अनुसार चुकाएगा। चूंकि बैंक के ऋण संबंधी जोखिम का उत्तरदायित्व आई डी एफ सी लेगी, इसलिए आइडीएफसी के विचार से बैंक को जितना जोखिम होगा, उसी के हिसाब से वह पुनर्वित्त की राशि पर ब्याज दर निश्चित करके तदनुसार ब्याज लेगी (अधिकांश मामलों में यह ब्याज दर आइडीएफसी की मूल उधार दर के आसपास ही होगी)। आइडीएफसी की पुनर्वित्त सहायता से खास तौर से बैंक लाभान्वित होंगे क्योंकि उनके पास परियोजनाओं के मूल्यांकन का अपेक्षित कौशल भी उपलब्ध है और परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभिक नकदी भी ।

2.3.8 वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करना

2.3.8.1 बैंक अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण देने वाली अन्य एजेंसियों द्वारा दिए गए ऋणों के लिए उनके पक्ष में गारंटी दे सकते हैं, परंतु इस संबंध में उन्हें निम्नलिखित शर्तों का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा ।

(i) निदेशक मंडल को बैंक की जोखिम प्रबंध प्रणाली की सुस्वस्थता /सुदृढ़ता को समझ लेना चाहिए और तदनुसार इस संबंध में एक सुव्यवस्थित नीति तैयार करनी चाहिए ।

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति में अन्य बातों सहित निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए :

क) बैंक की टीयर I की पूंजी से संबद्ध किस विवेकपूर्ण सीमा तक अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण देने वाली अन्य एजेंसियों के पक्ष में गारंटी निर्गत की जा सकती है ।

ख) प्रतिभूति और मार्जिनों का स्वरूप

ग) अधिकारों का प्रत्यायोजन

घ) रिपोर्टिंग प्रणाली

ङ) आवधिक समीक्षाएं

(ii) गारंटी केवल उधारकर्ता घटकों के संबंध में तथा उन्हें अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण देने वाली अन्य एजेंसियों से अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने के लिए उपलब्ध करायी जाएगी ।

(iii) गारंटी देने वाला बैंक गारंटीकृत ऋणसीमा के कम से कम 10 प्रतिशत के बराबर निधिक ऋणसीमा (एक्सपोजर) की जिम्मेवारी लेगा।

(iv) बैंकों को विदेशी ऋणदाताओं के पक्ष में गारंटी या आश्वासन-पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट) उपलब्ध नहीं कराना चाहिए। इसके अंतर्गत विदेशी ऋणदाताओं को समनुदेशित किए जाने वाली गारंटी या आश्वासन-पत्र शामिल माने जाएंगे परंतु ऐसा करते समय फेमा के अंतर्गत दी गई छूट प्रदान की जाएगी ।

(v) बैंक द्वारा निर्गत की गई गारंटी ऋण लेने वाली उस संस्था के पक्ष में ऋणसीमा मानी जाएगी जिसकी ओर से गारंटी निर्गत की गई है तथा उनके लिए प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिम-भार भी लागू होगा ।

(vi) बैंकों को घोष समिति की सिफारिशों तथा गारंटी निर्गत करने से संबंधित अन्य अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए ताकि इस संबंध में धोखाधड़ी की संभावनाओं से बचा जा सके ।

2.3.8.2 <u>ऋण देने वाले बैंक</u>

अ. अन्य बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्गत गारंटियों के आधार पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने वाले बैंकों को निम्नलिखित शर्तों का कड़ाई से पालन करना चाहिए :

(i) अन्य बैंक/वित्तीय संस्था की गारंटी के आधार पर कोई बैंक जिस ऋणसीमा की जिम्मेवारी लेगा उसे गारंटी देने वाले बैंक/वित्तीय संस्था की ऋण सीमा माना जाएगा तथा उसके लिए प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम-भार भी लागू होगा।

(ii) अन्य बैंकों द्वारा निर्गत गारंटी के आधार पर ऋण सुविधा के रूप में कोई बैंक जिस ऋण सीमा की जिम्मेवारी लेगा उसकी गणना निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित अंतर-बैंक ऋण सीमा के अंतर्गत की जाएगी । चूंकि अन्य बैंक /वित्तीय संस्था की गारंटी के आधार पर कोई बैंक जिस ऋणसीमा की जिम्मेदारी लेगा उसकी अवधि मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और प्रतिभूति बाजार में किए जाने वाले अंतर-बैंक लेनदेनों की जिम्मेवारियों की अवधि से लंबी होगी, इसलिए निदेशक मंडल को दीर्घावधिक ऋणों के मामले में एक उपयुक्त उप सीमा निश्चित कर देनी चाहिए क्योंकि ऐसे ऋणों के मामले में जोखिम अपेक्षाकृत ज्यादा होता है ।

(iii) बैंकों को चाहिए कि गारंटी देने वाले बैंक /वित्तीय संस्था पर जिस ऋणसीमा की जिम्मेवारी पड़ती है, उस पर वे अनवरत नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि बैंकों के लिए निदेशक मंडल द्वारा निश्चित की गई विवेकपूर्ण सीमाओं /उप सीमाओं का तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित की गई प्रति उधारकर्ता विवेकपूर्ण सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जा रहा है ।

(iv) बैंकों को घोष समिति की सिफारिशों तथा गारंटी स्वीकार करने से संबंधित अन्य अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए ताकि इस संबंध में धोखाधड़ी की संभावनाओं से बचा जा सके ।

आ. परंतु, निम्नलिखित मामलों में उक्त शर्तें लागू नहीं होंगी :

(क) मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के संबंध में, बैंक अन्य ऋणदाता संस्थाओं के पक्ष में गारंटी दे सकता है बशर्ते गारंटी देने वाला बैंक परियोजना की लागत के न्यूनतम 5 प्रतिशत के बराबर परियोजना का निधिक शेयर लेता है और परियोजना के संबंध में सामान्य ऋण मूल्यांकन, निगरानी और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्य करता है ।

(ख) विभिन्न विकास एजेन्सियों / बोर्डों, यथा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी, नैशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड आदि के पक्ष में ऐसी एजेन्सियों/ बोर्डों से क्षमता, उत्पादकता, आदि में सुधार के उद्देश्य से सुलभ ऋण और /या अन्य रूप में विकास सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर गारंटियां जारी करना :

- बैंकों को ऋण मूल्यांकन के आधार पर तकनीकी साध्यता, वित्तीय अर्थक्षमता और अलग-अलग परियोजनाओं के बैंक सुविधायोग्य होने और /या ऋण प्रस्तावों के बारे में संतुष्ट हो लेना चाहिए अर्थात् ऐसे मूल्यांकन का मानदंड वही होना चाहिए जैसा कि मीयादी वित्त /ऋण की मंजूरी संबंधी ऋण प्रस्ताव के मामले में किया जाता है ।
- बैंकों को अलग-अलग ऋणकर्ताओं/ऋणकर्ताओं के समूह के लिए समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण जोखिम (एक्सपोजर) मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए ।
- ऐसी गारंटियां प्रदान करने के पहले बैंकों को अपनी उपयुक्त सुरक्षा कर लेनी चाहिए ।

(ग) हुडको / राज्य आवास बोर्डों और उसी प्रकार के अन्य निकायों के पक्ष में उनके द्वारा ऐसे निजी ऋणकर्ताओं को, जो सम्पत्ति के लिए शुद्ध (क्लीन) या विपणनयोग्य हक देने में असमर्थ हों, स्वीकृत ऋणों के लिए गारंटी जारी करना, बशर्ते बैंक ऐसे ऋणों की पर्याप्त रूप से चुकौती किये जाने संबंधी ऋणकर्ताओं की क्षमता के बारे में अन्य प्रकार से संतुष्ट हों।

(घ) चलनिधि संबंधी अस्थायी बाध्यताओं के कारण पुनर्वास पैकेजों में भाग लेने में असमर्थ सहायता संघ के सदस्य बैंकों द्वारा ऋण-सीमा का अपना हिस्सा लेने वाले बैंकों के पक्ष में गारंटी जारी करना।

इ. बैंकों को आइडीबीआइ, सिडबी, एक्जिम बैंक, पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्था द्वारा शुरूकी गयी, खरीदार की ऋण व्यवस्था योजनाओं के अंतर्गत सहस्वीकृति /गारंटी सुविधाएं तब तक मंजूर नहीं करनी चाहिए, जब तक उसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशिष्ट तौर पर अनुमति न दी गयी हो ।

2.3.9 <u>बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई / पुनर्भुनाई</u>

बैंक वास्तविक वाणिज्य/व्यापारी बिलों की खरीद/भुनाई/बेचान/ पुनर्भुनाई करते समय निम्नलिखित दिशानिर्देशों का दृढ़ता से पालन करें :

(i) चूंकि ऋणकर्ताओं की कार्यशील पूंजी सीमाओं का अनुमान लगाने /मंजूर करने के लिए अपने स्वयं के दिशानिर्देश तय करने की बैंकों को पहले ही स्वतंत्रता दी जा चुकी है, अतः वे ऋणकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं का उचित मूल्यांकन करने के बाद और अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण नीति के अनुसरण में ऋणकर्ताओं को कार्यशील पूंजी और बिलों की सीमाएं मंजूर कर सकते हैं ।

(ii) बैंकों को अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से बिल भुनाई की स्पष्ट नीति तय करनी चाहिए। यह नीति कार्यशील पूंजी सीमाएं मंजूर करने की उनकी नीति के अनुकूल होनी चाहिए। इस मामले में निदेशक मंडल के अनुमोदन की प्रक्रिया में बिल प्रस्तुत करने से लेकर उनकी वसूली तक के समय की मूलभूत परिचालन प्रकिया शामिल होनी चाहिए। बैंकों को अपनी मूलभूत परिचालन प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए और बिलों के वित्तपोषण से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। बिलों की वसूली में प्रायः होने वाले विलंब की समस्या की ओर ध्यान देने के लिए बैंकों को सुगठित वित्तीय संदेश प्रणाली (एसएफएमएस) जैसे उन्नत कंप्यूटर /संचार नेटवर्क का लाभ उठाना चाहिए और अपने ग्राहकों के खातों की 'वेल्यु डेटिंग' की प्रणाली अपनानी चाहिए ।

(iii) बैंकों को अपने उन्हीं ऋणकर्ता ग्राहकों के वास्तविक वाणिज्य और व्यापारी लेनदेनों के संबंध में साखपत्र खोलने चाहिए और साखपत्रों के अंतर्गत बिलों की खरीद/ भुनाई/बेचान करना चाहिए, जिन ग्राहकों को बैंकों द्वारा नियमित ऋण सुविधाएं मंजूर की गयी हों। इसलिए बैंकों को ग्राहकों से इतर ऋणकर्ताओं अथवा/और किसी सहायता संघ/बहुविध बैंकिंग व्यवस्था के सदस्य न होने वाले ग्राहकों को निधिक सुविधाएं (बिल वित्तपोषण सहित) अथवा साखपत्र खोलने, गारंटी और स्वीकृति देने जैसी गैर-निधिक सुविधाएं नहीं देनी चाहिए । तथापि, उन मामलों में जहां साख पत्र के अंतर्गत आहरित बिलों का बेचान कोई विशिष्ट बैंक तक प्रतिबंधित है और साख पत्र का हिताधिकारी उस बैंक का ग्राहक नहीं है, वहां बैंक ऐसे साख पत्र का बेचान कर सकता है लेकिन इस शर्त के अधीन कि प्राप्त राशि हिताधिकारी के नियमित बैंकर को विप्रेषित की जाएगी । तथापि, बैंक के ग्राहकों से अन्यों के अप्रतिबंधित साख पत्रों के बेचान से संबंधित प्रतिबंध लागू होना जारी रहेगा ।

(iv) कभी-कभी हो सकता है साखपत्र का हिताधिकारी बिलों की भुनाई साखपत्र जारीकर्ता बैंक में करना चाहे । ऐसे मामलों में बैंक हिताधिकारी के बिल तभी आहरित करे यदि बैंक ने हिताधिकारी को नियमित निधि आधारित ऋण सुविधाएं मंजूर की हैं । हिताधिकारी के बैंक के खाते में नकदी प्रवाह में कमी न आने पाए इस बात को

सुनिश्चित करने की दृष्टि से हिताधिकारी को उसी बैंक के द्वारा बिल भुनाई /बेचान करना चाहिए जिस बैंक से वह मंजूर की गयी ऋण सुविधाएं प्राप्त कर रहा हो।

(v) साखपत्र के अंतर्गत खरीदे / भुनाए / बेचान किए गए बिलों (जहां हिताधिकारी को "आरक्षित निधि के अंतर्गत "(अंडर रिज़र्व) भुगतान नहीं किया जाता है) को साखपत्र जारी करने वाले बैंक पर एक्सपोज़र माना जाएगा तथा उधारकर्ता पर नहीं।ऊपर उल्लिखित के अनुसार सभी स्पष्ट (क्लीन) बेचानों पर पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए अंतर-बैंक ऋण सीमाओं पर सामान्यतः लागू जोखिम भार लगाया जाएगा। "आरक्षित निधि के अंतर्गत "बेचानों के मामले में उक्त ऋण सीमा को उधारकर्ता की ऋण सीमा माना जाए और उसे तदनुसार जोखिम भार दिया जाए।

(vi) साखपत्रों के अंतर्गत अथवा अन्य प्रकार के बिलों की खरीद /भुनाई /बेचान करते समय बैंकों को निहित लेनदेनों /दस्तावेज़ों की वास्तविकता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए ।

(vii) बैंकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि साखपत्र के कोरे फार्म सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गये हैं, जैसा कि कोरे चेकों, मांग ड्राफ्ट आदि सुरक्षा मदों के मामले में होता है और उनका प्रतिदिन सत्यापन /तुलन किया जाना चाहिए । ग्राहकों को साखपत्र फार्म बैंक के प्राधिकृत अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जाने चाहिए ।

(viii) खंड 'आश्रय के बिना' विनिमय बिल लिखने (आहरित करने) और 'आश्रय के बिना' वाक्यांश वाले साखपत्र जारी करने की प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के उल्लेख बेचान करने वाले बैंक को आश्रय का वह अधिकार नहीं मिलता जो उसे परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत बिल लिखने वाले बैंक के विरूद्ध मिलता है । इसलिए बैंकों को 'आश्रय के बिना' वाक्यांश वाले साखपत्र नहीं खोलने चाहिए और न ही ऐसे बिलों की खरीद /भुनाई /बेचान करना चाहिए । इसकी समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि बैंक अपने विवेकानुसार तथा साख पत्र जारी करनेवाले बैंक की ऋण-पात्रता के बारे में अपने मतानुसार 'आश्रय सहित' अथवा 'आश्रय के बिना' आधार पर साख पत्रों के अंतर्गत आहरित बिलों का बेचान कर सकते हैं । तथापि, अन्य बिलों (साख पत्र के अंतर्गत आहरित बिलों से अन्यतः आहरित बिल) की 'आश्रय के बिना' आधार पर खरीद/भुनाई पर प्रतिबंध लागू होना जारी रहेगा ।

(ix) बैंकों को निभाव बिलों की खरीद /भुनाई /उनका बेचान नहीं करना चाहिए । निहित व्यापारिक लेनदेनों की स्पष्ट पहचान होनी चाहिए और बिल कारोबार करने वाली शाखाओं को उनका उचित रिकार्ड रखना चाहिए ।

(x) बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा स्थापित वित्तीय कंपनियों द्वारा समूह की अन्य कंपनियों पर लिखे गये बिलों की भुनाई करते समय बैंकों को सतर्क रहना चाहिए ।

(xi) बिलों की पुनर्भुनाई अन्य बैंकों द्वारा धारित मीयादी बिलों तक ही सीमित रहनी चाहिए। बैंकों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पहले भुनाये जा चुके बिलों की पुनर्भुनाई नहीं करनी चाहिए, हल्के वाणिज्यिक वाहनों/ दुपहिया/तिपहिया वाहनों की बिक्री से बने बिल अपवाद होंगे ।

(xii) बैंक को सेवा क्षेत्र के बिलों की भुनाई करने में अपने वाणिज्यिक विवेक का इस्तेमाल करें। तथापि, ऐसे बिलों की भुनाई करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवाएं वास्तव में प्रदान की गई हैं और निभाव बिलों की भुनाई नहीं की गई है। सेवा क्षेत्र के बिल पुनर्भुनाई के पात्र नहीं होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, सेवा क्षेत्र के बिलों की भुनाई पर वित्त प्रदान करना गैर-जमानती अग्रिम माना जाना चाहिए और इसलिए वह बेज़मानती ऋण सीमा के लिए संबंधित बैंक के बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के भीतर होने चाहिए ।

(xiii) भुगतान अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए, जो किसी हद तक बिलों की स्वीकृति को बढ़ावा देगा, सभी कंपनियों तथा अन्य ग्राहक ऋणकर्ताओं, जिनका कुल कारोबार (पण्यावर्त) संबंधित बैंक के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित सीमा स्तर से अधिक हो, को बैंकों को प्रस्तुत अपनी आवधिक विवरणियों में अपनी अतिदेय भुगतान राशियों की 'काल अनुसूची' प्रकट करना अनिवार्य होना चाहिए ।

(xiv) बैंकों को संपार्श्विक जमानत के रूप में भुनाये गये /पुनः भुनाये गये बिलों का उपयोग करके रिपो लेनदेन नहीं करने चाहिए ।

2.3.10 बुलियन/अपरिष्कृत सोने की जमानत पर अग्रिम

(क) बैंकों को बुलियन /अपरिष्कृत सोने की जमानत पर कोई भी अग्रिम प्रदान नहीं करना चाहिए।

(ख) बैंकों को चांदी बुलियन के व्यापारियों को अग्रिम देने से बचना चाहिए क्योंकि संभव है कि उसका उपयोग सट्टे के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

2.3.11 सोने के आभूषणों तथा गहनों की ज़मानत पर अग्रिम

सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग करने से कॅरटेज,शुद्धता तथा परिष्कृतता के संबंध में आभूषणों में प्रयोग में लाए जाने वाले सोने की गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाति है। अतएव,बैंकों के लिए ऐसे हॉलमार्क किए गए आभूषणों की ज़मानत पर अग्रिम प्रदान करना सुरक्षित तथा आसान होगा । हॉलमार्क किए गए आभूषणों को दी गई अधिमान्यता से हॉलमार्क करने की प्रथा को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है और ऐसा होना उपभोक्ता, उधारदाता तथा उद्योग के दीर्घावधि हित में होगा। अतएव गहनों की ज़मानत पर अग्रिम प्रदान करने पर विचार करते समय बैंकों को चाहिए कि

वे हॉलमार्क किए गए आभूषणों के लाभों को ध्यान में रखें और उसपर मार्जिन तथा ब्याज दरें निर्धारित करें।

2.3.12 स्वर्ण (धातु)ऋण

2.3.13.1 मौजूदा अनुदेशों के अनुसार स्वर्ण आयात करने के लिए नामित बैंक(अनुबंध 4) उन देशी आभूषण निर्माताओं को, जो आभूषण के निर्यातक नहीं हैं, इस शर्त पर स्वर्ण (धातु) ऋण प्रदान कर सकते हैं कि देशी आभूषण निर्माताओं को स्वर्ण ऋण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उनके द्वारा किया गया कोई स्वर्ण ऋण उधार / या अन्य गैर निधिक वचनबद्धताओं को निर्यातेतर प्रयोजनों के लिए कुल उधारों के संदर्भ में समग्र उच्चतम सीमा (वर्तमान में टियर 1 पूंजी का 25 प्रतिशत) के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा। आभूषण के निर्यातकों को दिये जानेवाले स्वर्ण ऋण 25 प्रतिशत की उच्चतम सीमा में से दिये जानेवाले बने रहेंगे । बैंकों द्वारा प्रदत्त स्वर्ण (धातु) ऋण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :

(i) स्वर्ण (धातु) ऋण जिसे आभूषणों के निर्यातक न होने वाले देशी आभूषण निर्माताओं को प्रदान करने की नामित बैंकों को अनुमति है, की अवधि नामित बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित की जाएगी बशर्ते वह अवधि 180 दिनों से अधिक नहीं हो और अवधि तथा स्वर्ण ऋण के अंतिम उपयेाग की निगरानी से संबंधित बैंक की नीति बैंक की ऋण नीति में प्रलेखित होगी और बैंक उसका कड़ाई से पालन करेंगे। उपर्युक्त दिशानिर्देशों की प्राप्त अनुभव के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा जाएगी और स्वर्ण ऋणों के अंतिम उपयेाग की निगरानी के सबंध में बैंकों का कार्यनिष्पादन, स्वर्ण/चांदी का आयात करने के लिए प्राधिकार के वार्षिक नवीकरण के लिए उनके भावी अनुरोधों पर निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण तत्व होगा।

(ii) उधारकर्ताओं पर लगाये जानेवाले ब्याज को अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण ब्याज दर से संबद्ध किया जाना चाहिए ।

(iii) स्वर्ण उधार सामान्य प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं के अधीन होंगे।

(iv) उक्त ऋण पूंजी पर्याप्तता तथा अन्य विवेकाधीन अपेक्षाओं के अधीन होंगे।

(v) बैंकों को चाहिए कि वे आभूषण निर्माताओं को दिये जानेवाले स्वर्ण ऋणों के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करें तथा अपने ग्राहक को जानिए (KYC) संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करें ।

(vi) स्वर्ण उधारों और दिये गये ऋणों के बीच उभरनेवाली बेमेल स्थिति नामित बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित विवकपूर्ण जोखिम सीमाओं के भीतर होनी चाहिए ।

(vii) बैंकों को चाहिए कि वे स्वर्ण ऋण प्रदान करने के संबंध में समग्र जोखिमों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें और बोर्ड के अनुमोदन से विस्तृत उधार नीति निर्धारित करें ।

2.3.12.2 वर्तमान में नामित बैंक उन आभूषण निर्यातकों को, जो अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ग्राहक हैं, उनके बैंकरों द्वारा नामित बैंकों के पक्ष में जारी उद्यत साख पत्र अथवा बैंक गारंटी स्वीकार कर स्वर्ण (धातु) ऋण प्रदान कर सकते हैं जो प्राधिकृत बैंकों के उधार देने संबंधी अपने मानदंडों तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों

के अधीन हों। बैंक देशी आभूषण निर्माताओं को भी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

(i) उद्यत (स्टैंड-बाइ) साख-पत्र / बैंक गारंटी केवल देशी आभूषण निर्माताओं की ओर से प्रदान की जाएगी तथा यह हर समय इन संस्थाओं द्वारा उधार लिए गए स्वर्ण की मात्रा के पूरे मूल्य को कवर करेगी। उद्यत साख-पत्र / बैंक गारंटी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा केवल किसी नामित बैंक (सूची संलग्न) के पक्ष में ही दी जाएगी और ऐसी किसी अन्य संस्था को नहीं जिसके पास स्वर्ण का आयात करने के लिए अन्य प्रकार से अनुमति हो ।

(ii) उद्यत साख-पत्र /बैंक गारंटी (केवल अंतर्देशीय साख-पत्र / बैंक गारंटी) जारी करनेवाले बैंक को चाहिए कि वह उचित ऋण-मूल्यांकन करने के बाद ही यह जारी करे। बैंक यह सुनिश्चित करे कि स्वर्ण के मूल्यों में होनेवाली घट-बढ़ के अनुरूप हर समय उसके पास पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो।

(iii) उद्यत साख-पत्र / बैंक गारंटी की सुविधा के मूल्य का अंकन भारतीय रुपयों में होगा, न कि विदेशी मुद्रा में।

(iv) नामित न किये गये बैंकों द्वारा जारी उद्यत साख-पत्र / बैंक गारंटी मौजूदा पूँजी पर्याप्तता और विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होगी ।

(v) उद्यत साख-पत्र / बैंक गारंटी जारी करनेवाले बैंकों को यह भी चाहिए कि ये सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में विद्यमान समग्र जोखिमों का सावधानीपूर्वक आकलन करें तथा अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से एक विस्तृत ऋण नीति निर्धारित करें।

2.3.12.3 नामित बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन आभूषण निर्यातकों को स्वर्ण (धातु ऋण प्रदान
करना जारी रखें :

- किसी अन्य बैंक के उद्यत साख-पत्र / बैंक गारंटी के आधार पर स्वर्ण (धातु) ऋण प्रदान करनेवाले नामित बैंक द्वारा ग्रहण किए गए ऋणादि जोखिम को गारंटी देनेवाले बैंक पर ऋणादि जोखिम के रूप में माना जाएगा और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उसके लिए उचित जोखिम भारिता अपेक्षित होगी।
- लेनदेन पूर्णतया दुतरफा (बैक टू बैक) आधार पर होना चाहिए अर्थात् नामित बैंकों को चाहिए कि वे स्वर्ण (धातु) ऋण किसी नामित न किये गये बैंक के ग्राहक को नामित न किये गये बैंक द्वारा जारी उद्यत साख-पत्र / बैंक गारंटी के आधार पर सीधे प्रदान करें।
- स्वर्ण (धातु) ऋणों के साथ स्वर्ण के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के प्रति उधार लेनेवाली संस्था की किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देयता संबद्ध नहीं होनी चाहिए।
- बैंक अपने ऋणादि जोखिम और विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन की गणना प्रतिदिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित रुपया-डॉलर संदर्भ दर के साथ स्वर्ण/अमेरिकी डॉलर दर के लिए निर्धारित की जानेवाली लंदन एएम दर से क्रासिंग द्वारा स्वर्ण की मात्रा को रुपये में परिवर्तित करते हुए करें ।

2.3.12.4 बुलियन की ज़मानत पर उधार देने के संबंध में मौजूदा नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बैंकों को चाहिए कि वे उद्यत साख पत्र/बैंक गारंटी देने तथा स्वर्ण (धातु) ऋण प्रदान करने में निहित समग्र जोखिमों की पहचान करें। बैंक इस संबंध में एक उचित जोखिम प्रबंध और उधार नीति निर्धारित कर तथा इस क्षेत्र में धोखाधड़ी की संभावना को दूर करने के लिए अन्य बैंकों की गारंटियां स्वीकार करने से संबंधित घोष समिति की सिफारिशों और अन्य आंतरिक अपेक्षाओं का पालन करें।

2.3.12.5 नामित बैंकों को किसी अन्य संस्था जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/सहकारी बैंक /गैर-नामित बैंक शामिल है, के साथ स्वर्ण /स्वर्ण के सिक्के की खुदरा बिक्री के लिए किसी भी प्रकार का गठ-जोड़ करने की अनुमति नहीं है।

2.3.13 स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण तथा अग्रिम

स्थावर संपदा से संबंधित ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधारकर्ताओं ने परियोजना के लिए जहां आवश्यक है वहां सरकार/ स्थानीय सरकारों /अन्य सांविधिक प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त की है। इस कारण से ऋण अनुमोदन प्रक्रिया में बाधा न आए इसलिए प्रस्तावों को सामान्य क्रम में मंजूर किया जा सकता है लेकिन उनका वितरण उधारकर्ता द्वारा सरकारी प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही किया जाए।

2.3.14 लघु उद्योगों को ऋण और अग्रिम

बैंकिंग प्रणाली से जिन लघु उद्योग इकाइयों की कार्यशील पूंजी संबंधी ऋण सीमाएं 5 करोड़ रुपए तक हों, उन्हें उनके प्रक्षेपित वार्षिक पण्यावर्त (टर्नओवर) के 20 प्रतिशत के आधार पर कार्यशील पूंजी संबंधी वित्त प्रदान किया जाता है। बैंकों को सभी (नई तथा वर्तमान) लघु उद्योग इकाइयों के संबंध में सरलीकृत प्रक्रिया अपनानी चाहिए ।

2.3.15 बैंक ऋण की सुपुर्दगी के लिए ऋण प्रणाली

(क) बैंकिंग प्रणाली से जिन ऋणकर्ताओं को 10 करोड़ रुपये या अधिक की कार्यशील पूंजी संबंधी ऋण सीमाएं प्रदान की गयी हैं, उनके ऋण घटक सामान्यतः 80 प्रतिशत होने चाहिए । परंतु, बैंक चाहे तो, नकद ऋण घटक को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर अथवा 'ऋण घटक' को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर, कार्यशील पूंजी के संघटन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन ला सकते हैं । बैंक से यह आशा की जाती है कि वे कार्यशील पूंजी वित्त को दोनों घटकों का मूल्यांकन उचित प्रकार से करें । परंतु, इसके लिए उन्हें ऐसे निर्णयों के कारण नकद और चलनिधि प्रबंधन पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखना होगा ।

(ख) 10 करोड़ से कम राशि की कार्यशील पूंजी प्राप्त करने वाले ऋणकर्ताओं के संबंध में, बैंक ऋणकर्ताओं को नकदी ऋण घटक की तुलना में ऋण घटक के लिए कम ब्याज दर का प्रस्ताव देकर उन्हें 'ऋण पद्धति' को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर

सकते हैं। इन मामलों में 'ऋण घटक' का वास्तविक प्रतिशत बैंक और ऋणकर्ता आपस में तय कर सकते हैं।

(ग) कतिपय वाणिज्यिक कार्यकलापों में, जो आवर्ती प्रकार के तथा मौसम पर आधारित होते हैं अथवा जिनमें काफी अस्थिरता रहती हैं, ऋण प्रणाली को कड़ाई से पालन करने पर ऋणकर्ताओं को असुविधा हो सकती है। बैंक, अपने बोर्ड के अनुमोदन से कारोबार के ऐसे कार्यकलापों की पहचान कर सकते हैं, जिन्हें कर्ज प्रदान की ऋण प्रणाली से छूट दी जा सकती है ।

2.3.16 संघीय व्यवस्था/बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत उधार

ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में लचीलापन लाने तथा ऋण का सुचारुप्रवाह सुनिश्चित करने की दृष्टि से संघीय/बहु बैंकिंग/सिंडिकेट व्यवस्थाओं के संचालन से संबंधित विभिन्न विनियामक अपेक्षाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक ने रद्द कर दिया । तथापि, हाल ही में संघीय/बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं के संबंध में हुई धोखाधड़ियों के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार ने बैंकिंग प्रणाली में संघीय उधार तथा बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं की क्रियाविधि पर चिंता व्यक्त की है । आयोग ने कहा है कि ये धोखाधड़ी की घटनाएं मुख्यंतः विभिन्न बैंकों के बीच उधारकर्ताओं के ऋण चुकाने संबंधी पूर्व वृत्त तथा खाते के संचालन संबंधी जानकारी के प्रभावी आदान-प्रदान के अभाव के कारण हुई है ।

इस मामले की भारतीय बैंक संघ के साथ विचार-विमर्श करके जांच की गई है और उनकी यह राय है कि एक बैंक से अधिक बैंकों से ऋण सुविधाओं का लाभ उठानेवाले उधारकर्ताओं के स्तर की जानकारी का बैंकों के बीच आदान-प्रदान/प्रचार-प्रसार को सुधारने की आवश्यकता है । तदनुसार बहु बैंकों से ऋण सुविधाएं लेनेवाले उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी का बैक-अप निम्नानुसार सुदृढ़ बनाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है :

(i) नई सुविधाएं देने के समय, बैंकों को उधारकर्ताओं से उनके द्वारा पहले से ही अन्य बैंकों से ली गई ऋण सुविधाओं के बारे में निर्धारित फॉर्मेट में घोषणा पत्र प्राप्त करना चाहिए (देखें भारिबैं के परिपत्र : 19 सितंबर 2008 का बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 46/08.12.001/2008-09 तथा 8 दिसंबर 2008 का बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 94/08.12.001/2008-09) । मौजूदा उदारदाताओं के मामले में सभी बैंकों को 5.00 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक की स्वीकृत सीमाओं का लाभ उठानेवाले उनके मौजूदा उधारकर्ताओं अथवा जहां भी उन्हें यह ज्ञात है कि उनके उधारकर्ता अन्य बैंकों से ऋण सुविधाएं ले रहे, उन उधारकर्ताओं से घोषणा पत्र प्राप्त करना चाहिए और उपर्युक्त निर्दिष्ट किए गए अनुसार अन्य बैंकों के साथ जानकारी के आदान-प्रदान की प्रणाली प्रारंभ करनी चाहिए ।

(ii) उसके बाद बैंकों को उपर्युक्त (i) में संदर्भित भारिबैं, बैंपविवि. परिपत्रों के अनुबंध II में दिए गए फॉर्मेट में कम-से-कम तिमाही अंतरालों पर अन्य बैंकों के साथ उधारकर्ताओं के खातों के संचालन के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करना चाहिए ।

(iii) 10 फरवरी 2009 के बैंपविवि. बीपी. बीसी. 110/08.12.001/2008-09 तथा उपर्युक्त (i) में संदर्भित भारिबैं परिपत्रों के अनुबंध III में दिए गए नमूना पत्र के अनुसार वर्तमान में प्रचलित विभिन्न सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में किसी व्यावसायिक अधिमानतः कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा कॉस्ट एकाउंटेंट से नियमित प्रमाणन प्राप्त करना चाहिए ।

(iv) सिबिल में उपलब्ध ऋण संबंधी रिपोर्टों का अधिक उपयोग करना चाहिए ।

(v) बैंकों को भविष्य में (मौजूदा सुविधाओं के मामले में अगले नवीकरण के समय) ऋण करार करते समय उनमें ऋण संबंधी जानकारी के आदान-प्रदान के बारे में उपयुक्त खंड शामिल करने चाहिए ताकि गोपनीयता के मामलों की समस्या से बचा जा सके ।

2.3.17 सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर उद्योग को कार्यशील पूंजी संबंधी वित्त

'सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर विकास पर राष्ट्रीय कार्य दल' की सिफारिशों के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने उक्त उद्योग को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किये हैं । तथापि, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को मामला प्रेषित किये बिना अपने अनुभव के आधार पर दिशानिर्देशों के प्रयोजन की अक्षरशः प्राप्ति के लिए उनमें आशोधन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इन दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं :

(i) बैंक प्रवर्तक के पिछले रिकार्ड समूह की संबद्धता, प्रबंधन दल की संरचना तथा कार्य संबंधी उनके अनुभव एवं मूलभूत सुविधा के आधार पर कार्यशील पूंजी संबंधी ऋण सीमाएं स्वीकृत करने पर विचार कर सकते हैं ।

(ii) 2 करोड़ रुपए तक की कार्यशील पूंजी संबंधी ऋण सीमाओं वाले ऋणकर्ताओं के मामले में प्रक्षेपित पण्यावर्त के 20 प्रतिशत पर आकलन किया जाये । तथापि अन्य मामलों में बैंक मासिक नकद बजट प्रणाली के आधार पर अधिकतम अनुमत बैंक वित्त (एम पी बी एफ) के आकलन पर विचार कर सकते हैं। जिन ऋणकर्ताओं को बैंकिंग प्रणाली से 10 करोड़ रुपए और अधिक की कार्यशील पूंजी संबंधी ऋण सीमाएं प्राप्त हैं उन पर ऋण प्रणाली संबंधी दिशानिर्देश लागू होंगे ।

(iii) बैंक मार्जिन के प्रति प्रवर्तकों के अंशदान के रूप में उचित राशि निर्धारित कर सकते
हैं ।

(iv) जहां कहीं उपलब्ध हो, बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करें। चालू आस्तियों पर पहला / दूसरा प्रभार, यदि उपलब्ध हो, प्राप्त किया जाये।

(v) सामान्य श्रेणी के ऋणकर्ताओं के लिए यथानिर्धारित ब्याज दर लगायी जाये। पोतलदानपूर्व / पोतलदानोत्तर ऋण पर यथा प्रयोज्य रियायती ब्याज दर लगायी जाये।

(vi) ऐसे अग्रिमों के लिए बैंक तयशुदा (टेलर मेड) अनुवर्ती प्रणाली तैयार करें। बैंक परिचालनों पर निगरानी रखने के लिए नकदी प्रवाहों के तिमाही विवरण प्राप्त

करें। यदि नकदी बजटों के आधार पर स्वीकृति न दी गयी हो, तो वे स्वयं उपयुक्त समझी गयी रिपोर्टिंग प्रणाली तैयार कर सकते हैं।

2.3.18 भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र उपक्रम संबंधी विनिवेशों के लिए बैंक वित्त हेतु दिशानिर्देश

2.3.18.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के 28 अगस्त 1998 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 90/ 13.07.05/98 द्वारा बैंकों को यह अनुदेश जारी किया था कि कंपनी की ईक्विटी पूंजी के लिए प्रवर्तकों का अंशदान उनके ही स्रोतों से आना चाहिए और बैंक को सामान्यतः अन्य कंपनियों के शेयर लेने के लिए अग्रिम स्वीकृत नहीं करना चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि शेयरों पर अग्रिमों का उपयोग उधारकर्ता द्वारा कंपनी/ कंपनियों में नियंत्रक का अधिकार प्राप्त करने या बनाये रखने के लिए अथवा अंतर-कंपनी निवेश को सुसाध्य बनाने या बनाये रखने के लिए नहीं किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त 1998 के परिपत्र के अनुदेश भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र उपक्रम विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत सफल बोली लगाने वालों को बैंक वित्त के मामले में लागू नहीं होंगे बशर्ते:

- सरकारी क्षेत्र उपक्रम विनिवेश कार्यक्रम में सफल बोली लगाने वालों के वित्तपोषण के लिए बैंक का प्रस्ताव उनके निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो।
- बैंक वित्त भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के शेयरों के अर्जन के लिए होना चाहिए जिसमें द्वितीयक स्तरीय अधिदेशात्मक खुला प्रस्ताव हो, जहां लागू हो, न कि सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के शेयरों के परवर्ती अर्जन के लिए होना चाहिए। बैंक वित्त सिर्फ भारत सरकार द्वारा भावी विनिवेश के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।
- प्रवर्तक सहित उन कंपनियों के पास जिन्हें बैंक वित्त दिया जाना है, पर्याप्त निवल राशि और बैंकिंग प्रणाली से लिये गये सेवा ऋणों का बेहतर पिछला कार्यनिष्पादन रिकार्ड होना चाहिए ।
- इस प्रकार दिये गये बैंक वित्त की राशि उस बैंक के आकार, उसकी निवल संपत्ति और कारोबार तथा जोखिम प्रोफाइल के अनुसार होनी चाहिए ।

2.3.18.2 यदि सरकारी क्षेत्र उपक्रम विनिवेश पर अग्रिम विनिवेशित सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के शेयरों या किन्हीं अन्य शेयरों की जमानत पर हो तो बैंकों को चाहिए कि वे मार्जिन पर पूंजी बाज़ार लेनदेनों, पूंजी बाज़ार के समग्र लेनदेन पर उच्चतम सीमा, जोखिम प्रबंध और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति द्वारा चौकसी एवं निगरानी, मूल्यांकन और प्रकटीकरण इत्यादि के बारे में हमारे मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करें (11 मई 2001 का हमारा परिपत्र सं. बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 119/ 21.04.137/2000-01 देखें) ।

2.3.18.3 शेयरों के लिए अवरूद्धता अवधि की शर्त

i) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम विनिवेश कार्यक्रम में भाग लेने वाले ऋणकर्ताओं को वित्त प्रदान करने का निर्णय करते समय बैंकों को ऐसे ऋणकर्ताओं को एक करार निष्पादित करने के लिए कहना चाहिए, जिसके द्वारा वे यह वचन दें कि :

(क) अवरूद्धता अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रम विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत अर्जित शेयरों के निपटान के लिए सरकार से छूट प्राप्त करने का पत्र प्रस्तुत करेंगे, या

(ख) ऋणकर्ता द्वारा मार्जिन संबंधी अपेक्षा में कमी या चूक के मामले में अवरूद्धता अवधि के दौरान शेयरों को बेचने की गिरवीदार को सरकार द्वारा अनुमति सहित प्रलेखन में एक विशिष्ट उपबंध शामिल करेंगे ।

ii) बैंक सफल बोलीदाता को वित्त प्रदान कर सकते हैं, भले ही सफल बोलीदाता द्वारा विनिवेश कंपनी अर्जित किये जाने वाले शेयर अवरूद्धता अवधि /अन्य ऐसी प्रतिबंधात्मक शर्तों के अधीन हों जो उनकी चलनिधि को प्रभावित करती है, परंतु इस संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना चाहिए :

(क) भारत सरकार और सफल बोलीदाता के बीच तैयार होनेवाले प्रलेख में ऐसा विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए, जिससे अपेक्षित मार्जिन में कमी या ऋणकर्ता द्वारा चूक होने की स्थिति में बंधकग्राही को शेयरों के समापन की अनुमति अवरूद्धता अवधि, जिसका निर्धारण इस तरह के विनिवेशों के संबंध में किया गया हो, में भी हो।

(ख) यदि प्रलेखन में इस तरह का विशिष्ट प्रावधान न हो तो सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त किये गये शेयरों की अवरूद्धाता अवधि में बिक्री के लिए ऋणकर्ता (सफल बोलीदाता) को चाहिए कि वह सरकार से छूट (वेवर) प्राप्त करे ।

2.3.18.4 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार बंधकग्राही बैंक को अवरूद्धता अवधि के पहले वर्ष में बंधक लागू करने की अनुमति नहीं होगी। यदि अतिरिक्त जमानत के द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मार्जिन रखने में ऋणकर्ता असमर्थ रहे अथवा बैंक और ऋणकर्ता के बीच सहमति से तय किये गये चुकौती कार्यक्रम के अनुसार अदायगी न की जाये तो अवरूद्धता अवधि के दूसरे और तीसरे वर्ष में बंधक लागू करने का बैंक को अधिकार होगा। अवरूद्धता अवधि के दूसरे और तीसरे वर्ष में बंधक लागू करने का बंधकग्राही बैंक का अधिकार सरकार और सफल बोलीदाता के बीच तैयार हुए प्रलेखों के नियमों और शर्तों के अधीन होगा, जिसमें बंधकग्राही बैंक की भी कुछ जिम्मेदारी हो सकती है।

2.3.18.5 यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित बैंक को ऋण के संबंध में सटीक मूल्यांकन करते हुए ऋणकर्ता की उधार पात्रता और प्रस्ताव की वित्तीय व्यवहार्यता के संबंध में उचित सावधानी बरतनी चाहिए। बैंक को इस बारे में भी अवश्य संतुष्ट हो लेना चाहिए कि बैंक के पास गिरवी रखे जाने वाले शेयरों के निपटान के संबंध में तैयार

किया जाने वाला प्रस्तावित प्रलेख बैंक को पूर्णतः स्वीकार्य हो और इसके कारण बैंक को कोई अवांछित जोखिम उत्पन्न नहीं होता हो।

2.3.18.6 औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग के 8 जनवरी 2001 के परिपत्र सं. 10 / 08.12.01/ 2000-2001 के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अन्य कंपनियों में निवेशों और अंतर-कंपनी ऋणों /अन्य कंपनियों में जमाराशियों का वित्तपोषण करने से बैंकों को प्रतिबंधित किया है। इस स्थिति की समीक्षा की गयी है और बैंकों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले विशेष प्रयोजन साधनों (SPVs) को निवेश कंपनियां नहीं माना जायेगा और इसलिए उन्हें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां नहीं माना जायेगाः

क. वे धारक कंपनियों, विशेष प्रयोजन साधनों आदि के रूप में कार्य करती हों और उनकी कुल आस्तियों का कम से कम 90 प्रतिशत स्वामित्व के दावे के प्रयोजन के लिए धारित प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में हो,

ख. वे ब्लॉक बिक्री के सिवाय इन प्रतिभूतियों का व्यापार नहीं करतीं,

ग. वे कोई अन्य वित्तीय कार्यकलाप न करती हों ; और

घ. वे जनता की जमाराशियां धारित/स्वीकार न करती हों।

2.3.18.7 जो विशेष प्रयोजन साधन उपर्युक्त शर्तों को पूरा करेंगे वे भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश कार्यक्रम के लिए बैंक वित्त के पात्र होंगे ।

2.3.18.8 इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जा सकता है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), निवेश प्रभाग ने यूरो निर्गम के बारे में दिशानिर्देश संबंधी 8 जुलाई 2002 के प्रेस नोट द्वारा एडीआर /जीडीआर / ईसीबी से प्राप्त राशि को भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रमों, जिनमें परवर्ती खुला प्रस्ताव भी शामिल है, के वित्तपोषण के लिए उपयोग करने वाली एक भारतीय कंपनी को अनुमति दी है। अतः सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश कार्यक्रम में सफल बोली लगाने वालों को वित्त प्रदान करने हेतु बैंक ऐसे एडीआर/ जीडीआर/ ईसीबी निर्गमों से प्राप्त राशि को हिसाब में ले सकते हैं ।

2.3.19 <u>किसान विकास पत्र लेने के लिए ऋण प्रदान करना</u>

(i) ऐसे कुछ मामले जानकारी में आए हैं जहां बैंकों ने व्यक्तियों (ज्यादातर उच्च निवल मालियत वाले व्यक्ति-एचएनआइ) को किसान विकास पत्र लेने के लिए ऋण मंजूर किए हैं। उच्च निवल मालियत वाले व्यक्तियों को पहले किसान विकास पत्र में प्रस्तावित निवेश के कुल अंकित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि मार्जिन के रूप में लानी थी और निवेश के शेष 90 प्रतिशत को ऋण समझा जाता था और बैंक किसान विकास पत्र लेने के लिए उसका निधीयन करता था। एक बार उधारकर्ता के नाम पर किसान विकास पत्र ले लिये जाने पर, उन्हीं को बाद में बैंक के पास गिरवी रखा जाता था।

(ii) ऊपर दिए गए अनुसार की गयी ऋणों की मंजूरी अल्प बचत योजनाओं के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। अल्प बचत योजनओं का मूल उद्देश्य है अल्प बचतकर्ताओं

को बचत के लिए एक सुरक्षित माध्यम प्रदान करना तथा बचत को प्रोत्साहन देना तथा लोगों में बचत करने की आदत डालना। किसान विकास पत्रों के अर्जन / में निवेश के लिए ऋण प्रदान करने से नयी बचत को बढ़ावा नहीं मिलता है और इसके विपरीत बैंक जमाराशियों के रूप में विद्यमान बचत राशियों को अल्प बचत लिखतों के रूप में परिवर्तित करता है और उससे ऐसी योजनाओं का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है । अतः बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसान विकास पत्रों सहित लघु बचत योजनाओं में निवेश के लिए ऋण मंजूर नहीं किए जाते ।

2.3.20. 7 प्रतिशत बचत बॉण्ड 2002, 6.5 प्रतिशत बचत बॉण्ड 2003 (जिन पर कर नहीं लगेगा) तथा 8 प्रतिशत (कर योग्य) बॉण्ड 2003 - संपार्श्विक सुविधा

भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत जारी बॉण्ड को गिरवी रखने अथवा दृष्टिबंधक में रखने अथवा उसका धारणाधिकार देने की अनुमति दी जाए । तदनुसार, उक्त बॉण्डधारक सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (जी एस एक्ट) की धारा 28 तथा सरकारी प्रतिभूति विनियमावली, 2007 (जी. एस. रेग्यूलेशन्स) के विनियम 21 और 22 के अनुसरण में अनुसूचित बैंकों के पक्ष में गिरवी अथवा दृष्टिबंधक अथवा धारणाधिकार देने के लिए पात्र होंगे । भारत सरकार द्वारा जारी की गयी प्रत्येक संशोधनकारी अधिसूचना संख्याओं/क्रमांकों के 7 प्रतिशत बचत बॉण्डों के लिए 19 अगस्त 2008 की सं. एफ. 4(13)-डब्ल्यू & एम/2002, 6.5 प्रतिशत बचत बॉण्डों (जिन पर कर नहीं लगेगा) के लिए 19 अगस्त 2008 की सं. एफ. 4(9)-डब्ल्यू & एम/2003 तथा 8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बॉण्डों के लिए 19 अगस्त 2008 की सं. एफ. 4(10)-डब्ल्यू & एम/2003 की प्रतिलिपि 24 अक्तूबर 2008 के भारिबैं परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 66/13.03.00/2008-09 से संलग्न । उपर्युक्त संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में बैंकों को सूचित किया जाता है कि जी एस अधिनियम की धारा 28 तथा जीएस विनियमावली के विनियमन 21 और 22 में निर्धारित की गई क्रियाविधि के अनुसार गिरवी अथवा दृष्टिबंधक अथवा धारणाधिकार के माध्यम से संपार्श्विक सुविधा प्रदान करें । भारत सरकार द्वारा जारी संबंधित प्रेस प्रकाशनी तथा फॉर्म के साथ अधिनियम/विनियमावली के संबंधित उद्धरण भी त्वरित संदर्भ के लिए उपर्युक्त परिपत्र से संलग्न हैं । यह नोट किया जाए कि संपार्श्विक सुविधा के बॉण्ड धारकों को प्रदान किए गए ऋणों के लिए उपलब्ध है और यह **सुविधा अन्य पार्टी को प्रदान किए गए ऋणों के लिए उपलब्ध नहीं है** ।

2.3.21 अनर्जक परिसंपत्तियों के समझौता निपटान संबंधी दिशानिर्देश - न्यायालय से सहमति आदेश (कन्सेंट डिक्री) प्राप्त करना

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, एरणाकुलम ने एक माामले में यह टिप्पणी की है कि यद्यपि बैंक और प्रतिवादी उधारकर्ताओं ने समझौता निपटान योजना के तहत समझौता किया था, तथापि संबंधित बैंक ने न केवल ऋण वसूली न्यायाधिकरण से सहमति आदेश नहीं प्राप्त किया था, बल्कि ढाई वर्ष से अधिक अवधि तक उन्होंने समझौता निपटान का तथ्य ऋण वसूली न्यायाधिकरण से छुपा रखा था । इस प्रकार उन्होंने भारतीय

रिज़र्व बैंक के उक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था और अनावश्यक रूप से न्यायाधिकरण का अमूल्य समय नष्ट किया था। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे यह अनिवार्यतः सुनिश्चित करें कि किसी मामले को न्यायालय /ऋण वसूली न्यायाधिकरण /औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष दर्ज करने के बाद उधारकर्ता के साथ जो भी समझौता निपटान किया जाता है, वह संबंधित न्यायालय /ऋण वसूली न्यायाधिकरण /औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से सहमति आदेश की प्राप्ति के अधीन है।

2.3.22 बैंकों का परियोजना वित्त संविभाग

2.3.22.1 परियोजनाओं के वित्तपोषण के समय प्रवर्तक की ईक्विटी के स्तर को निर्धारित करने के लिए बैंक साधारणतः निम्नलिखित में से एक पद्धति अपनाते हैं ।

1) प्रवर्तक अपना संपूर्ण अंशदान बैंक द्वारा अपनी प्रतिबद्धता का वितरण आरंभ करने से पहले दे देते हैं ।

2) प्रवर्तक अपनी ईक्विटी का कुछ प्रतिशत (40 प्रतिशत-50 प्रतिशत) पहले देते हैं और शेष चरणबद्ध रूप से दिया जाता है ।

3) प्रवर्तक प्रारंभ से ही इस बात के लिए सहमत होते हैं कि वे बैंकों द्वारा ऋण के हिस्से के वित्तपोषण के अनुपात में ईक्विटी निधि लाएंगे ।

2.3.22.2 यद्यपि यह अच्छी बात है कि ऐसे निर्णय संबंधित बैंकों के बोर्डों द्वारा लिये जाने हैं, तथापि यह पाया गया है कि अंतिम विधि में ईक्विटी निधीयन का जोखिम अधिक है । इस जोखिम को नियंत्रित रखने के लिए, बैंकों को उन्हीं के हित में यह सूचित किया जाता है कि वे ऋण ईक्विटी अनुपात (डीईआर) के संबंध में स्पष्ट नीति अपनाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रवर्तकों द्वारा ईक्विटी/निधियों की वृद्धि इस प्रकार होनी चाहिए जिससे डीईआर का निर्धारित स्तर सभी समय बना रहे । इसके अलावा वे क्रमवार निधीयन अपना सकते हैं ताकि बैंकों द्वारा ईक्विटी के निधीयन की संभावना से बचा जा सके ।

2.3.23 सरकार से प्राप्य राशियों की जमानत पर पूरक ऋण

बैंकों को सहायता राशियों, धन वापसी, प्रतिपूर्ति, पूंजीगत अंशदान आदि के माध्यम से केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्य राशियों की जमानत पर पूरक ऋण नहीं देने चाहिए । तथापि, निम्नलिखित के मामले में छूट दी गई है :

क.) बैंक उर्वरक उद्योग के मामले में 60 दिन तक की अवधि के लिए सामान्य प्रतिधारण मूल्य योजना (आरपीएस) के अंतर्गत प्राप्य सहायता राशि को वित्त देना जारी रख सकते हैं । यह स्पष्ट किया जाता है कि इस सुविधा के लिए एक पूर्णतः अस्थायी उपाय के रूप में अनुमति दी गई है और उर्वरक कंपनियों को धीरे-धीरे अपनी वित्तीय स्थिति मज़बूत करनी चाहिए ताकि वे सहायता राशि की जमानत पर वित्त पाने के लिए बैंकों पर निर्भर न रहें । कोई भी अन्य प्राप्य सहायता राशियों जैसे

निविष्टियों की लागत तथा माल भाड़े के संबंध में हुई वृद्धि के कारण प्रतिधारण मूल्य में प्रत्याशित संशोधन के आधार पर इकाइयों द्वारा किए गए दावों के संबंध में प्राप्य सहायता राशि का बैंकों द्वारा वित्तपोषण नहीं करना चाहिए ।

ख.) बैंक मौजूदा अनुदेशों द्वारा कवर की गई सीमा तक निर्यातकों (अर्थात् शुल्क वापसी तथा आइपीआरएस) द्वारा सरकार से प्राप्य राशियों की जमानत पर वित्त देना जारी रख सकते हैं ।

2.4. ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देश

2.4.1 भारत सरकार द्वारा गठित ऋणदाता देयता विधि संबंधी कार्य-दल की सिफारिशों के आधार पर ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता लागू करने की व्यवहार्यता की जांच भारत सरकार, चुने हुए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के परामर्श से की गयी है । इस बीच दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और सभी बैंकों /अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित व्यापक दिशानिर्देश अपनायें तथा अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से उचित व्यवहार संहिता तैयार करें ।

2.4.2 दिशानिर्देश

(i) ऋण के लिए आवेदन पत्र और उन पर कार्रवाई

(क) ऋणकर्ता द्वारा मांगी गई ऋण की राशि पर ध्यान दिए बिना ऋण की सभी श्रेणियों के संबंध में ऋण आवेदन के फार्म व्यापक होने चाहिए । इसमें उन पर कार्रवाई के संबंध में देय शुल्क / प्रभार, यदि कोई हो, आवेदन पत्र स्वीकार न होने की स्थिति में ऐसे शुल्क की वापस की जा सकने वाली राशि, समय से पूर्व भुगतान करने का विकल्प तथा ऋणकर्ता के हित को प्रभावित करने वाली अन्य सूचनाएं शामिल होनी चाहिए, ताकि अन्य बैंकों के साथ सार्थक तुलना की जा सके और ऋणकर्ता सोच समझकर निर्णय ले सके ।

हमने यह पाया है कि कुछ बैंक प्रोसेसिंग शुल्क के अतिरिक्त कुछ प्रभार लगाते हैं जो प्रारंभ में उधारकर्ता को बताए नहीं जाते हैं । यह उल्लेख किया जाता है कि उधारकर्ता को बताए बिना बाद में ऐसे प्रभार लगाना अनुचित प्रथा है ।

बैंकों/वित्तीय संस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रोसेसिंग के लिए लगाए जानेवाले प्रभारों/शुल्क से संबंधित सभी जानकारी ऋण आवेदन फॉर्म में अनिवार्यतः बताई जाती है । साथ ही, बैंकों को अपने ग्राहकों को 'समग्र लागत' बतानी चाहिए ताकि वह वित्त के अन्य स्रोतों के साथ प्रभारों/दरों की तुलना कर सके ।

(ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सभी ऋण आवेदनपत्रों की पावती देने की प्रणाली बनानी चाहिए । इस तरह की पावती में यह भी जानकारी होनी चाहिए कि 2 लाख रुपये तक के आवेदनों का निपटान कब तक कर दिया जायेगा ।

(ग) बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को ऋण आवेदनपत्रों का सत्यापन यथोचित समय में कर लेना
चाहिए । यदि कोई अतिरिक्त ब्यौरे / दस्तावेज चाहिए तो उसकी जानकारी ऋणकर्ता को तुरंत दी जानी चाहिए ।

(घ) क्रेडिट कार्ड आवेदनों सहित ऋण की सभी श्रेणियों के मामले में, चाहे उनकी प्रारंभिक ऋण सीमा कुछ भी हो, ऋणदाता को चाहिए कि वह निर्धारित समय में लिखित रूप में बताये कि उचित विचार के बाद किन-किन मुख्य कारणों से बैंक की राय में ऋण आवेदनपत्र अस्वीकृत किये गये हैं ।

(ii) <u>ऋण मूल्यांकन और नियम / शर्तें</u>

(क) ऋणदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋणकर्ता के ऋण आवेदनपत्र का उचित मूल्यांकन किया गया है । उन्हें मार्जिन और जमानत की शर्त को ऋणकर्ता की ऋणपात्रता के बारे में समुचित जांच-पड़ताल के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं लेना चाहिए ।

(ख) ऋणदाता को चाहिए कि वह ऋण-सीमा की जानकारी नियमों और शर्तों के साथ ऋणकर्ता को दे और इन नियमों और शर्तों के संबंध में ऋणकर्ता द्वारा पूरी जानकारी के साथ दी गयी स्वीकृति का रिकॉर्ड रखे ।

(ग) बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जानेवाली ऋण सुविधाओं पर लागू नियम और शर्तें तथा अन्य सावधानियां, जिन्हें ऋणदात्री संस्था और उधारकर्ता के बीच बातचीत के बाद निर्धारित किया जाता है, लिखित रूप में रखी जानी चाहिए और प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा उन्हें विधिवत् प्रमाणित किया जाना चाहिए । ऋण करार और ऋण करार में उल्लिखित सभी अनुलग्नकों की एक-एक प्रति ऋणकर्ता को दी जानी चाहिए । इस बात पर पुनः बल दिया जाता है कि बैंकों द्वारा ऋणों की स्वीकृति/वितरण के समय ऋण करार तथा ऋण करार में उल्लिखित सभी अनुलग्नकों की एक-एक प्रति सभी ऋणकर्ताओं को अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए ।

(घ) जहां तक हो सके ऋण करार में ऐसी ऋण सुविधाओं को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जो पूरी तरह ऋणदाताओं के विवेक पर निर्भर हैं । इनमें सुविधाओं का अनुमोदन या अस्वीकृति शामिल हो सकती है, जैसे मंजूर की गयी सीमाओं से अधिक आहरण, ऋण मंजूरी में विशेष रूप से सहमत प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए चेक का भुगतान तथा ऋण खाते के अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किये जाने या मंजूरी की शर्तों का अनुपालन न किये जाने के कारण खाते से आहरण की अनुमति न देना । यह भी स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि कारोबार में वृद्धि आदि के कारण ऋणकर्ताओं की और अपेक्षाओं को ऋण सीमाओं की उपयुक्त समीक्षा के बिना पूरा करने का ऋणदाता का कोई दायित्व नहीं है ।

(ङ) सहायता संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ऋण दिये जाने के मामले में, सहभागी ऋणदाताओं को ऐसी क्रियाविधि शुरूकरनी चाहिए जिससे कि प्रस्तावों का मूल्यांकन यथासंभव समयबद्ध रूप में पूरा किया जा सके तथा वित्त देने या न देने के संबंध में अपने निर्णय की सूचना उचित समय में दी जा सके ।

(iii) ऋण का वितरण तथा शर्तों में परिवर्तन

ऋणदाताओं को ऋण मंजूरी को नियंत्रित करने वाली शर्तों के अनुरूप ऋण का समय पर वितरण सुनिश्चित करना चाहिए । ऋणदाताओं द्वारा ब्याज दरों, सेवा प्रभारों आदि शर्तों में होने वाले किसी परिवर्तन की सूचना दी जानी चाहिए । ऋणदाताओं को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्याज दरों और प्रभारों में परिवर्तन केवल भावी प्रभाव से किया जाता है ।

(iv) ऋण वितरण के बाद पर्यवेक्षण

क) ऋणदाता द्वारा वितरण के बाद पर्यवेक्षण, विशेष रूप से 2 लाख रुपये तक के ऋणों के संदर्भ में, रचनात्मक होना चाहिए ताकि ऋणकर्ता के सामने आनेवाली "ऋणदाता से संबंधित" किसी वास्तविक कठिनाई पर ध्यान दिया जा सके ।

ख) करार के अंतर्गत ऋण वापस मांगने / भुगतान जल्दी करने या कार्य-निष्पादन में तेजी लाने को कहने या अतिरिक्त जमानत मांगने का निर्णय लेने के पहले ऋणदाता द्वारा ऋण करार में निर्दिष्ट किये गये अनुसार ऋणकर्ता को नोटिस दिया जाना चाहिए या ऋण करार में ऐसी शर्त न होने पर उचित समय दिया जाना चाहिए ।

ग) ऋणदाता को ऋण का भुगतान प्राप्त होने पर या ऋण की वसूली होने पर सभी जमानतें लौटा देनी चाहिए, बशर्ते किसी अन्य दावे के संबंध में ऋणकर्ता के विरुद्ध ऋणदाता का कोई वैध अधिकार या ग्राहणाधिकार न हो । यदि समंजन (सेट-ऑफ) के ऐसे अधिकार का प्रयोग करना है तो ऋणकर्ता को शेष दावों और उन दस्तावेजों के बारे में पूरे ब्यौरे देते हुए नोटिस दिया जाना चाहिए जिनके अंतर्गत ऋणदाता संबंधित दावे का निपटान / भुगतान होने तक जमानत रखने का हकदार है ।

(v) सामान्य

(क) ऋणदाताओं को ऋण मंजूरी के दस्तावेजों की शर्तों में किये गये प्रावधान को छोड़कर (जब तक ऋणकर्ता द्वारा पहले प्रकट न की गयी नयी सूचना ऋणदाता की जानकारी में न आयी हो) ऋणकर्ताओं के कार्यकलाप में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए ।

(ख) ऋणदाताओं द्वारा ऋण प्रदान करने के मामले में लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए । तथापि, इससे समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनायी गयी ऋण संबद्ध योजनाओं में ऋणदाताओं के भाग लेने पर कोई रोक नहीं है ।

(ग) ऋणों की वसूली के लिए ऋणदाताओं द्वारा ऋणकर्ताओं को अनुचित रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए ,उदाहरण के लिए, ऋणकर्ता को बेवक्त लगातार तंग करना, ऋण की वसूली के लिए बल प्रयोग करना आदि ।

(घ) यदि ऋणकर्ता से या किसी बैंक / वित्तीय संस्था से, जो ऋणकर्ता के खाते का टेक ओवर करना चाहती है, ऋण खाते के अंतरण के लिए अनुरोध प्राप्त हो तो अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर सहमति या असहमति, अर्थात् ऋणदाता की आपत्ति के संबंध में सूचना भेजी जानी चाहिए ।

2.4.3 ऊपर पैरा 2.4.2 में दिये गये दिशानिर्देशों पर आधारित उचित व्यवहार संहिता सभी ऋणों के संदर्भ में निर्धारित होनी चाहिए । बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह स्वतंत्रता होगी कि वे दिशानिर्देशों की व्याप्ति बढ़ाते हुए उचित व्यवहार संहिता का प्रारूप तैयार करें परंतु किसी भी हालत में उपर्युक्त दिशानिर्देशों के पीछे निहित भावना का उल्लंघन न हो । इस प्रयोजन के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों को स्पष्ट नीति निर्धारित करनी चाहिए ।

2.4.4 निदेशक बोर्ड द्वारा इस संबंध में उठने वाले विवादों को निपटाने के लिए संगठन के भीतर शिकायत निवारण का उचित तंत्र भी स्थापित करना चाहिए । इस तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण देने वाली संस्थाओं के पदाधिकारियों के निर्णयों के फलस्वरूप उठने वाले सभी विवादों को कम-से-कम अगले उच्चतर स्तर पर सुना जाता है और उनको निपटाया जाता है । निदेशक बोर्डों को उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन तथा नियंत्रक कार्यालयों के विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र की कार्य-प्रणाली की आवधिक समीक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए । ऐसी समीक्षाओं की समेकित रिपोर्ट बोर्ड को, उसके द्वारा निर्दिष्ट नियमित अंतराल पर प्रस्तुत की जाये ।

2.4.5 उक्त संहिता अपनाने, आवश्यक ऋण आवेदन फार्मों की प्रिंटिंग तथा शाखाओं और नियंत्रक कार्यालयों में उनका परिचालन भी विधिवत् पूरा कर लिया जाए । बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनायी जाने वाली उचित व्यवहार संहिता को अपनी वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए और उसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए । एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक को भी भेजी जानी चाहिए ।

अनुबंध 1

नियंत्रित पदार्थों की सूची

(पैराग्राफ 2.2.3.1 देखें)

समूह	पदार्थ	ओज़ोन समाप्त करने की संभाव्यता *
समूह I		
$CFCl_3$	(CFC-11)	1.0
CF_2Cl_2	(CFC-12)	1.0
$C_2F_3Cl_3$	(CFC-113)	0.8
$C_2F_4Cl_2$	(CFC-114)	1.0
Cl	(CFC-115)	0.6
समूह II		
CF_2BrCl	(हेलोन - 1211)	3.0
CF_3Br	(हेलोन -1301)	10.0
$C_2F_4Br_2$	(हेलोन -2402)	6.0

* ओजोन समाप्त करने की इन संभाव्यताओं का अनुमान मौजूदा जानकारी के आधार पर लगाया गया है। समय-समय पर इनकी समीक्षा की जायेगी और इनमें संशोधन किया जायेगा ।

अनुबंध 2

नियंत्रित पदार्थों की सूची

(पैराग्राफ 2.2.3.1 देखें)

समूह	पदार्थ	ओज़ोन समाप्त करने की संभाव्यता
समूह I		
CF_3Cl	(CFC-13)	1.0
CF_2Cl_5	(CFC-111)	1.0
$C_2F_2Cl_4$	(CFC-112)	1.0
C_2FCl_7	(CFC-211)	1.0
$C_2F_2Cl_6$	(CFC-212)	1.0
$C_3F_3Cl_5$	(CFC-213)	1.0
$C_3F_4Cl_4$	(CFC-214)	1.0
$C_3F_5Cl_3$	(CFC-215)	1.0
$C_3F_6Cl_2$	(CFC-216)	1.0
C_3F_7Cl	(CFC-217)	1.0
समूह II		
CCl_4	कार्बन टेट्राक्लोराइड	1.1
समूह III		
$C_2H_3Cl_3$ *	1,1,1 - ट्राइक्लोरोईथेन (मिथाइल क्लोरोफार्म)	0.1
* यह फार्मूला 1,1,2 - ट्राइक्लोरोईथेन को संदर्भित नहीं करता ।		

चयनात्मक ऋण नियंत्रण
अन्य परिचालनात्मक विनिर्देश

पैराग्राफ 2.2.4.4(iv) देखें

1. बैंकों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी पण्यों में लेनदेन करने वाले ग्राहकों को ऐसी किसी ऋण सुविधा की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिससे इस निदेश के प्रयोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रभावित हों। बही ऋणों/प्राप्य राशियों और जीवन बीमा निगम की पालिसियों, शेयरों और स्टॉकों एवं भूसंपत्ति जैसी संपार्श्विक प्रतिभूतियों की जमानत पर ऐसे ऋणकर्ताओं के पक्ष में अग्रिम देने पर विचार नहीं करना चाहिए ।
2. हालांकि चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी पण्यों के लाने-ले जाने के संबंध में आहरित मांग दस्तावेजी बिलों की जमानत पर या उसकी खरीद के द्वारा दिये जाने वाले अग्रिम छूट प्राप्त हैं, तथापि बैंक को संबंधित बीजकों तथा परिवहन परिचालकों द्वारा जारी रसीदों, आदि का सत्यापन कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तावित बिल माल को वस्तुतः लाने-ले जाने से संबंधित हैं ।
3. चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी पण्यों की बिक्री से संबंधित मीयादी बिलों को जारी किये गये निदेशों में विनिर्दिष्ट रूप से अनुमत सीमा तक ही भुनाया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं ।
4. निदेशों में विनिर्दिष्ट कुछ शर्तों पर उचित सीमा तक बेजमानती तार अंतरण खरीद सुविधा की अनुमति दी जाये ।
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम भी चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी निदेशों द्वारा/के अंतर्गत समाविष्ट किये गये हैं।
6. जहां एक से अधिक पण्य और / या किसी अन्य प्रकार की प्रतिभूति की जमानत पर ऋण सीमाएं मंजूर की गयी हों, उन मामलों में प्रत्येक पण्य की जमानत पर दी गयी ऋण सीमाओं को अलग-अलग किया जाना चाहिए तथा निदेशों में दिये गये प्रतिबंध ऐसी प्रत्येक अलग-अलग सीमा पर लागू किये जाने चाहिए ।
7. चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी निदेशों के अंतर्गत आनेवाले अग्रिमों के संबंध में ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए बैंक स्वतंत्र है ।
8. बैंक चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी पण्यों में लेनदेन करनेवाले ऋणकर्ताओं को ऋण स्वीकृत कर सकते हैं बशर्ते संयंत्र और मशीनरी जैसी ब्लॉक आस्तियां अर्जित करने के लिए मीयादी ऋणों का उपयोग किया जाये तथा बैंकों द्वारा सामान्य मूल्यांकन और अन्य मानदंडों का अनुसरण किया जाये।
9. भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय पूल के लिए और उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्नों की सरकारी खरीद करने के लिए भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकारों को ऋण सीमाएं प्राधिकृत करता है। चूंकि मार्जिन के बिना ऋण सीमाएं प्राधिकृत की जाती हैं, अतः उधार बिक्री (क्रेडिट सेल), बही ऋण, सरकारी सब्सिडी, आदि की जमानत पर ऋण नहीं लिया जा सकता।
10. बैंकों को समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी उपायों के संबंध में जारी निदेशों का संदर्भ लेना चाहिए।

स्वर्ण आयात के लिए नामित बैंकों की सूची
(पैरा 2.3.12.1 देखें)

1. इलाहाबाद बैंक
2. एक्सिस बैंक लि.
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. बैंक ऑफ इंडिया
5. बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया
6. केनरा बैंक
7. कार्पोरेशन बैंक
8. फेडरल बैंक लि.
9. आइसीआइसीआइ बैंक लि.
10. इंडियन ओवरसीज़ बैंक
11. इंडसइंड बैंक
12. कोटक महिंद्रा बैंक लि.
13. एचडीएफसी बैंक लि.
14. इंडियन बैंक
15. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
16. पंजाब नैशनल बैंक
17. भारतीय स्टेट बैंक
18. सिंडिकेट बैंक
19. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
20. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
21. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
22. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
23. आंध्रा बैंक

अनुबंध 5

ऋण और अग्रिम - सांविधिक तथा अन्य प्रतिबंध पर मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

1.	बैंपविवि. बीपी. बीसी.	110/08.12.001/2008-09	10.02.2009
2.	बैंपविवि. बीपी. बीसी	94/08.12.001/2008-09	08.12.2008
3.	बैंपविवि. एलईजी. सं. बीसी.	86/09.07.005/2008-09	25.11.2008
4.	बैंपविवि. डीआइआर. बीसी.	66/13.03.00/2008-09	24.10.2008
5.	बैंपविवि. बीपी. बीसी.	65/21.06.001/2008-09	20.10.2008
6.	बैंपविवि. बीपी. बीसी.	59/21.03.009/2008-09	14.10.2009
7.	बैंपविवि. बीपी. बीसी.	46/08.12.001/2008-09	19.09.2008
8.	बैंपविवि. बीपी. बीसी.	30/08.12.14/2008-09	06.08.2008
9.	बैंपविवि. डीआइआर. बीसी.	17/13.03.00/2008-09	01.07.2008